** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

**(भारत सरकार का उपक्रम)**

**पंजीकृत व प्रधान कार्यालय**,

3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता – 700 071.

**CIN No. U10200WB1906GOI001713**

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

नेशनल लीगल वर्टिकल

2E/9 प्रथम तल, झंडेवालान एक्सटेंशन,

नई दिल्ली -110055

**विषय :** कंपनी के 10 आवासीय फ्लैटस के बाह्य, आन्तरिक और सामान्य क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण/रेट्रोफिटिंग, पुताई सिविल मरम्मत, नल-साजी, बिजली और आन्तरिक कार्य |

**स्थान : रजनीगंधा अपार्टमेंट, साहिबाबाद, यू.पी.**

**निविदा संख्या : निविदा संख्या : NIC/NLV/Estb/T-4/2017**

**को जारी :**

**दिनांक :**

**हस्ताक्षर :**

**(इस दस्तावेज़ में आवरण पृष्ठ को मिलाकर 39 (तकनीकी बोली)+10(dwg)+22(मूल्य बोली) पृष्ठ हैं |)**

**परामर्शदाता :**

|  |
| --- |
| मैसेर्ज़ **Design Dei Gratia** प्रा.लि. |
| 40/138, लोअर ग्राउंड तल, सी आर पार्क, |
| नई दिल्ली -110 019, |
| दूरभाष : 91-11-26489009 |
| टेली-फैक्स : 91-11-26279015 |
| मो.: 09811210589 |
| इ-मेल : info@designdeigratia.com |

अनुसूचिका

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | निविदा सूचना |  | 3 |
| 2. | तकनीकी बोली प्रोफोर्मा – I |  | 6 |
| 3. | प्रोफोर्मा - II |  | 8 |
| 4. | कार्य हेतु निविदा फॉर्म |  | 9 |
| 5. | निविदा हेतु नियम व शर्तें |  | 11 |
| 6. | अनुबंध के नियम |  | 14 |
| 7. | अनुबंध की शर्तें |  | 17 |
| 8. | विशेष परिस्थितियां |  | 32 |
| 9. | सुरक्षा संहिता |  | 33 |
| 10 | तकनीकी विनिर्देश |  | 34 |
| 11. | ज्ञापन |  | 38 |
| 12. | स्वीकृत और नामित सामग्री |  | 39 |
| 13. | आरेखण |  | 44 |
| 14. | परिमाण बिल |  | 54 |

**निविदा सूचना**

**निविदा संख्या : निविदा संख्या : NIC/NLV/Estb/T-4/2017**

1. दोहरी बोली प्रणाली में प्रतिष्ठित ठेकेदारों के निम्नलिखित योग्यता मानदंडों के अनुसार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हेतु इंटीरियर फर्निशिंग का कार्य करने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क. | कार्य का नाम : | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राजनीगंधा अपार्टमेंट, साहिबाबाद, यू. पी. में 10 आवासीय फ्लैटस के बाह्य, आन्तरिक और सामान्य क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण/रेट्रोफिटिंग, पुताई सिविल मरम्मत, नल-साजी, बिजली और आन्तरिक कार्य | |
| ख. | पता : | राजनीगंधा अपार्टमेंट, साहिबाबाद, यू. पी. |
| ग. | अनुमानित लागत : | **रूपये 73.70 लाख (लगभग)** |
| घ. | बयाना जमा राशि : | **रूपये 1,50,000/-** |
| ङ. | कार्य पूरा करने का समय : | **दस फ्लैटों के लिए साईट सौंपने के 180 दिनों के भीतर कार्य किया जाना है |** |

1. निविदा बोली में भाग लेने हेतु ठेकेदार के लिए निम्नलिखित योग्यता पात्रता है :
   1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर कम से कम रूपये 52 लाख (अंकेक्षित बैलेंस शीट संलग्न करें) होना चाहिए |
   2. 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए पिछले सात वर्षों के दौरान बोलीदाता को निम्नानुसार मूल्य के समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए :

|  |  |
| --- | --- |
| **कार्य का विवरण** | **निष्पादित प्रत्येक कार्य का न्यूनतम मूल्य** |
| पूरे किये गये तीन समान कार्य जिनकी लागत 40% इ.सी. से कम ना हो या | रूपये 29.48 **लाख** |
| पूरे किये गये दो समान कार्य जिनकी लागत 50% इ.सी. से कम ना हो या | रूपये 36.85 **लाख** |
| पूरे किया गया एक समान कार्य जिनकी लागत 80% इ.सी. से कम ना हो या | रूपये 58.96 **लाख** |

* 1. समान कार्य से अभिप्राय बाह्य, आन्तरिक और सामान्य क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण/रेट्रोफिटिंग, पुताई सिविल मरम्मत, नल-साजी, बिजली और आन्तरिक कार्य |

घ. वैध पैन, जीएसटी नंबर, वैध ट्रेड लाइसेंस और पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न |

ङ किसी भी बैंक द्वारा अधिक से अधिक १२ महीने पूर्व रूपये 52 लाख या अधिक राशि का जारी किया गया शोधन- क्षमता प्रमाणपत्र |

1. नियोक्ता द्वारा कार्य पूरा करने का प्रमाणपत्र जो स्पष्ट रूप से कार्य की प्रकृति, कार्य मूल्य, कार्य की आरम्भ और समाप्ति की तिथि, निर्धारित समय में कार्य पूरा किया गया या नहीं दर्शायेगा |
2. उपरोक्त मानदंडों के सम्बन्ध में दावे का समर्थन करने योग्य दस्तावेजी प्रमाण |
3. निविदा दस्तावेज़ 01/01/2018 से 15/01/2018 तक कार्यकारी समय में (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल लीगल वर्टीकल, 2E/9, प्रथम तल, झंडेवालान एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110055 से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में, नयी दिल्ली में देय के अप्रतिदेय रूपये 2500/- की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बीसी के माध्यम से खरीदा जा सकता है |

निविदा दस्तावेज़ कंपनी वेबसाइट http://[www.nationalinsuranceindia.com](http://www.nationalinsuranceindia.com/) से डाउनलोड भी कर सकते हैं | जो बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उन्हें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में, नयी दिल्ली में देय के अप्रतिदेय रूपये 2500/- की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बीसी को निविदा दस्तावेज़ की तकनीकी बोली के साथ जमा करना होगा ऐसा न होने पर उनके निविदा को रद्द कर दिया जाएगा |

1. निविदा दस्तावेज़ के साथ रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हज़ार केवल) डिमांड ड्राफ्ट/बीसी के रूप में बयाना जमा राशि (EMD) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में, नयी दिल्ली में देय जमा करवानी होगी | बिना बयाना जमा राशि के निविदा दस्तावेज़ को रद्द कर दिया जाएगा |

इएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यह गैर-हस्तांतरणीय है और मूल्य बोली में L-1 बोलीदाता के चयन के पश्चात ही लौटाया जाएगा | सफल बोलीदाता को इएमडी सुरक्षा जमा के साथ डिफेक्ट देयता अवधि के अंत में लौटाया जाएगा |

1. समय ही अनुबंध का मूलतत्व है | **दस फ्लैटो के लिए साईट सौंपने के 180 दिनों के भीतर कार्य पूरा किया जाना है | कार्यकारी समय सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा |**
2. **निविदा प्रस्तुत करने की प्रणाली :**
   1. तकनीकी बोली विधिवत भरी हुई और बोलीदाता द्वारा सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर, साथ ही कंपनी का विवरण, पिछले तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण, पैन, जीएसटी नंबर, शोधन-क्षमता प्रमाणपत्र, पिछले सात वर्षों के दौरान बोलीदाता को समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र, योग्यता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेज़, परिशिष्ट-X, साथ ही इएमडी व निविदा लागत यदि कोई हो तो, एक अलग मुहरबंद लिफाफे में जिसके उपर “A”, “तकनीकी बोली, निविदा संख्या, शीर्षक, निविदाकर्ता का नाम व पता” लिखा जाये |
   2. मूल्य बोली विधिवत रूप से भरकर व हस्ताक्षर कर अलग मुहरबंद लिफाफे में राखी जाये जिसके उपर “**B**”, “वित्तीय बोली, निविदा संख्या, शीर्षक, निविदाकर्ता का नाम व पता” लिखा जाये | जिस लिफाफे पर “B” लिखा हो उसमे केवल मूल्य बोली ही हो |
   3. A और B चिन्हित मुहरबंद लिफाफे एक मास्टर लिफाफे “C” के ऊपर लिखा जाये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रजनीगंधा अपार्टमेंट साहिबाबाद उ.प्र. में 10 आवासीय फ्लैटस के बाह्य, आन्तरिक और सामान्य क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण/रेट्रोफिटिंग, पुताई सिविल मरम्मत, नल-साजी, बिजली और आन्तरिक कार्य हेतु निविदा” |
   4. मुहरबंद विधिवत रूप भरी गयी निविदाएं उप महा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल लीगल वर्टीकल, 2E/9, प्रथम तल, झंडेवाला एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110055 के नाम पर उपरोक्त पते पर प्रथम तल पर रखी निविदा पेटी में 16/01/2018 दोपहर 2 बजे पर या इससे पूर्व तक डाल दें |
3. निविदाएं दिनांक 16/01/2018 दोपहर 2.30 बजे उप महा प्रबंधक के चैम्बर, स्थापना विभाग, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल लीगल वर्टीकल, 2E/9, प्रथम तल, झंडेवालान एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110055 में निविदाकर्ता की मान्यता प्राप्त उनके प्रतिनिधियों, यदि वे भाग लेना चाहें तो, की उपस्थिति में खोली जाएंगी |
4. जमा की गयी निविदा इसे खोले जाने के 120 दिनों की अवधि तक स्वीकृति के लिए वैध होनी चाहिए |
5. यदि निविदा खोलने का दिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में या हड़ताल, बंद आदि के कारण कार्यालय के गैर-कार्यवाही के रूप में घोषित किया गया है, तो अगले कार्य दिवस को इस तरह के उद्देश्य के लिए माना जाएगा और इसके लिए कोई अलग सूचना नहीं दी जाएगी |
6. इच्छुक आवेदक/फर्म पूर्व-बोली बैठक में भाग ले सकती है, जोकि दिनांक 12/01/2018 दोपहर 12 बजे उप-महा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल लीगल वर्टीकल, 2E/9 प्रथम ताल, झंडेवालान एक्सटेंशन, नयी दिल्ली 110055 में आयोजित की जानी है |
7. निविदाकर्ता की मूल्य बोली जो पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और तकनीकी बोली को उत्तीर्ण करती है केवल उसे ही खोला जाएगा | योग्य बोलीदाताओं को मूल्य बोली खोलने का समय और तिथि की सूचना दी जाएगी |
8. कंपनी किसी बोली/बोलियों को भाग में या किसी एक या सभी निविदाकर्ता को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत और/या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और कंपनी कोई भी स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी |
9. एनआईसीएल अपने पूर्ण विवेकाधिकार का और बिना कोई कारण बताये निम्न का अधिकार सुरक्षित रखता है कि :
10. न्यूनतम निविदा या किसी भी अन्य निविदा या सभी निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करना |
11. निविदा के नियम व शर्तों की पुष्टि न करने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करना |
12. किसी भी सशर्त और/या अपूर्ण निविदा को अस्वीकार करना |
13. यदि निविदाकर्ता को L-1 बोलीदाता के रूप में सफल घोषित करने के बाद बोली वापिस ले लेता है या निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं कर पाता है तो उसकी इ एम डी जब्त कर ली जाएगी |
14. निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व पूरे निविदा दस्तावेज़ को पढ़ना और उसकी जांच करना, अपने स्वयं के खर्च पर साईट/स्थान पर जाना, तकनीकी विनिर्देशों, ड्राइंग इत्यादि का अध्ययन कर लेना चाहिए | यदि कोई विसंगति पायी गयी तो उसकी सूचना परामर्शकर्ता/एनआईसीएल को आवश्यक रूप दी जाये |
15. उपरोक्त निर्धारित समय की समाप्ति के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और सामान्य रूप से किसी भी निविदा को जमा करवाने के लिए समय सीमा नही बढायी जाएगी |
16. निविदाओं के निवेदन की सूचना, निविदा की शर्तें और विधिवत रूप से पूरे किये गये फॉर्म, विनिर्देश इत्यादि को सफल निविदाकर्ता द्वारा कंपनी के साथ निष्कासित किये जाने वाले अनुबंध का भाग ही माना जाएगा |
17. निविदा फॉर्म पर संगठन की ओर से उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे | निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर ठीक से मुहर के साथ हस्ताक्षर किये जायें | प्राधिकरण कानूनी तौर पर लागू लिखित वकालतनामे के रूप में होना चाहिए, जोकि कंपनी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाये |
18. विभिन्न ग्राहकों के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यों के प्रमाणपत्र, साथ ही कार्य हेतु कार्य आदेश भी, निविदा दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किये जायें |
19. किसी भी आवश्यक दस्तावेज़/प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में बोलीदाता फॉर्म में स्पष्ट रूप से ‘उपलब्ध नहीं’ इंगित करना चाहिए |
20. मूल बोली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में ठेकेदार द्वारा स्वयं की त्रुटियों को ठीक करने के लिए किये गये सुधार के अलावा कोई इंटरलिनेशन या अधिलेखन नहीं होना चाहिए | जिस व्यक्ति ने बोली पर हस्ताक्षर किये, ऐसे सुधारों पर उसके संक्षिप्त हस्ताक्षर होने चाहिए |
21. यह निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए कि एन आई सी एल इस निविदा दस्तावेज़ और अनुसूची के सुधार या पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और एन आई सी एल द्वारा किये गये परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है |
22. निविदा के नियम व शर्तों की स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए |

**उप महाप्रबंधक**

**तकनीकी बोली**

**प्रपत्र - I**

**पूर्व योग्यता के प्रयोजन के लिए ठेकेदार से सम्बंधित विवरण**

**निविदा संख्या :** NIC/NLV/Estb/T-4/ 2017

| **क्रम सं.** | **विषय** | **विवरण** |
| --- | --- | --- |
| 1 | प्रोप्राएटर/फर्म/कंपनी का नाम |  |
| 2 | संपर्क पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल पता |  |
| 3 | संस्थापन का वर्ष |  |
| 4 | फर्म की स्थिति (प्रोप्रिएटरी/फर्म/कंपनी) |  |
| 5 | निदेशक/भागीदार/प्रोप्रिएटर का/के नाम (कृपया सम्बंधित दस्तावेज़ संलग्न करें) |  |
| 6 | क्या कंपनी/फर्म कंपनियों के रजिस्ट्रार/फर्म के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है ? यदि हाँ तो संख्या व तिथि बताएं | |  |
| 7 | संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक द्वारा जारी किया गया शोधन क्षमता प्रमाणपत्र | बोलीदाता की न्यूनतम शोधन क्षमता रूपये 52 लाख होनी चाहिए | |  |
| 8 | पैन संख्या |  |
| 9 | जीएसटी संख्या |  |
| 10 | क्या बोलीदाता आयकर निर्धारिती है ?  यदि हाँ तो कृपया स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करें | पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें | | 2016-17:  2015-16:  2014-15: |
| 11 | निम्न के साथ बोलीदाता का वार्षिक टर्नओवर बताएं :   1. उल्लिखित टर्नओवर के आंकड़ों को चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र | 2. इन तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस शीट, व्यापर/राजस्व लेखा और लाभ व हानि लेखा की प्रमाणित प्रतियाँ | 2016-17:  2015-16:  2014-15: |
| 12 | पिछले 7 वर्षों में देश में निष्पादित एकल कार्य का अधिकतम मूल्य निर्दिष्ट करें |  राशि रूपये  वर्ष |  |
| 13 | विवादित मुक्द्द्मेबाज़ी/मध्यस्थता की स्थिति और विवरण, यदि कोई हो तो |  i)  ii)  iii) |  |
| 14 | निष्पादित किये गये कार्य हेतु किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाणपत्र |  |
| 15 | योग्यता मानदंड के अनुसार समान कार्य के संतोषजनक पूरा होने के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण |  |
| **नोट :** जहाँ भी प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता हो, तो ये प्रतियां सम्बंधित एजेंसी या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हों | | | |
| ठेकेदार के हस्ताक्षर व मुहर | | |

**प्रपत्र –II**

**पिछले 7 वर्षों में निष्पादित 3 प्रमुख समान कार्यों के सम्बन्ध में विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **कार्य/परियोजना का नाम व पता** | **ग्राहक** | **वास्तुकार/ परामर्शकर्ता का नाम** | **कार्य का संक्षिप्त विवरण** | **निष्पादित कार्य का मूल्य** | **कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि और समय** | **कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि और समय** | **यदि कोई विलम्ब हुआ हो, तो उसका कारण** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**नोट :** सम्बंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए |

स्थान :

तिथि :

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मुहर

**कार्य हेतु निविदा फॉर्म**

**सेवा में**

**उप महा प्रबंधक ,**

**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

**एनएलवी कार्यालय,**

**2E/9 प्रथम तल, झंडेवालान एक्सटेंशन,**

**नई दिल्ली -110055**

महोदय/महोदया,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त कार्य हेतु निविदा की निर्देशों और शर्तों को ध्यानपूर्वक और स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ लिया है और इस पूरे कार्य को निष्पादित और पूर्ण करने के लिए निविदा प्रस्तुत करते हैं |
2. अंडरराइट ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से सम्बंधित चित्र, विनिर्देशों, डिज़ाइन, मात्राओं की अनुसूची के साथ निविदा दस्तावेज़ को विधिवत रूप से जांच करते हुए और कथित कार्य के लिए साईट पर भी जांच कर इस निविदा को प्रभावित करने वाली सम्बंधित सभी जानकारी प्राप्त कर ली है | मैं/हम एततद्वारा अंडराइट ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को मात्रा की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर और निविदा में लिखी सभी चित्र, विनिर्देशों, डिज़ाइन, निर्देशों, जो कि निविदा के नियम, अनुबंध के लेख, विशेष परिस्थितियों, मात्रा की अनुसूची, और अनुबंध की नियम, निर्दिष्ट सामग्री और अब तक अन्य सभी सम्बंधित नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर निष्पादित करने की प्रस्तुति करता हूँ /करते हैं |
3. मैं/हम एततद्वारा सहमत हूँ कि, यह निविदा पूर्ण या आंशिक किसी भी रूप में स्वीकृत हो, मैं/हम अब तक लागू होने वाली इस अनुबंध की संलग्न सभी शर्तों और निविदा के नियमों के प्रावधानों को पूरा करता हूँ/करते हैं या ऐसा ना कर पाने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देय राशि को निम्न परिस्थितियों में जब्त कर लिया जाए :
   1. रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हज़ार केवल) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बीसी/पे ऑर्डर के रूप में बयाना जमा राशि (EMD) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में, नयी दिल्ली में देय |
   2. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि
      1. यदि मैं उपरोक्त ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को आरम्भ करने में विफल रहता हूँ तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसी भी अन्य अधिकार या पूर्वधारणा के बिना बयाना जमा राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र है,. अन्यथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह राशि उपरोक्त ज्ञापन में उल्लिखित सुरक्षित जमा राशि के रूप में रखेगी |
      2. निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों में निहित या उनमें उल्लिखित और परामर्शदाता/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्देशित अधिकृत विविधताओं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी कार्य निष्पादित करने हैं |
4. यह समझा जाता है कि न्यूनतम या किसी भी निविदा को ही स्वीकार किया जाये ऐसा आवश्यक नहीं है, और एनआईसीएल किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और एनआईसीएल ऐसा करने के लिए कोई भी कारण देने या बताने के लिए बाध्य नहीं है |

हमारी फर्म के प्रोप्राइटर/भागीदार/निदेशक के नाम हैं :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ

**दिनांक .....……….2018**

**निविदा के नियम एवं शर्तें**

1.निविदा प्रपत्र अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए जिसमें सभी प्रविष्टियां स्याही में हाथ से लिखी जानी चाहिए।

2 निविदा दस्तावेज़ का प्रत्येक पृष्ठ मुहर सहित किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

3 निविदाएँ अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदादाताओं को मात्रा,दर तथा राशि की अनुसूची के आधार पर दरों को प्रस्तुत करना चाहिए। दरों को बिना किसी परिवर्तन अथवा त्रुटि-सुधार के,शब्दों एवं अंकों दोनों मे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। तथापि यदि कोई त्रुटि हो ही जाती है तो गलत लिख गए शब्दों अथवा अंकों को भली-भांति मिटाकर, निविदादाताओं के पूर्ण हस्ताक्षर सहित सही शब्दों और अंकों को स्पष्ट रूप से साफ-साफ पुनः लिखा जाना चाहिए,अधिलेखन/उपरिलेखन की अनुमति नहीं है। दर एवं राशि को सही करने के लिए सफ़ेद द्रव्य का प्रयोग किया जाना भी निषिद्ध है।

4 जी एस टी न॰ अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदादाताओं द्वारा,लागू होनेवाले सभी प्रकार के शुल्कों को प्रस्तावित दरों मे समाहित करने हेतु अपने स्तर से पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। किसी भी परिस्थिति मे इस खाते में पृथक रूप से किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। निविददाता को अपनी दरें उद्ध्रत करते समय माल/सामग्री,संबन्धित अपव्यय या नुकसान,श्रमशक्ति, करों और शुल्कों, चुंगी आदि की लागत तथा सामग्री को कार्यस्थल तक ले जाने के परिवहन संबंधी व्ययों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए।

5 दरें सुनिश्चित हैं, और किसी भी खाते में स्वीकृत दरों मे किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।

6 मात्रा,दरों और राशि के संदर्भ मे किसी प्रकार की त्रुटियों को निम्नवत व्यवहरित किया जाएगा :-

* 1. शब्दों एवं अंकों मे उद्ध्रत दरों मे अंतर/विसंगति होने की स्थिति मे,न्यूनतम दर पर विचार किया जाएगा।
  2. राशि की मद मे गलत गणना के फलस्वरूप उत्पन्न अंतर / विसंगति की स्थिति मे प्रति यूनिट-दर को सुनिश्चित मानते हुए मात्रा के अनुसार कुल राशि की गणना संशोधित की जाएगी।
  3. राशि के मद के अंतर्गत योग की त्रुटिपूर्ण गणना को संशोधित कर उसे ही आगे ले जाया जाएगा और तदनुसार ही पूर्ण योग को संशोधित किया जाएगा।

6 मात्रा की अनुसूची मे दर्शाई गई मात्राएँ केवल अनुमानित /संभावित मात्राएँ हैं, तथा कंपनी के विवेकाधीन इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन,अभिवृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।

7 निविदादाता द्वारा रेखाचित्रों, विनिर्देशों अथवा टेंडर के साथ दी जाने वाली संभावित मात्राओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा,और यदि ऐसा कोई परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत या निरस्त (रद्द) की जा सकती है।

8 निविदादाता द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार करने तथा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व अपने स्तर से स्वयं के खर्चे पर निविदा से संबन्धित समस्त रेखाचित्रों, विनिर्देशों शर्तों आदि की पूरी जानकारी /छानबीन तथा कार्य-स्थल का निरीक्षण करके वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य मामलों के संबंध में स्वयं को आश्वस्त कर लेना चाहिए। कार्य-स्थल का निरीक्षण सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य-दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक किया जा सकता है।

9 निविदादाता को इस निविदा को तैयार करने तथा जमा करने से संबंधित समस्त व्यय भी वहन करने होंगे।

10 **बयाना राशि का जमा किया जाना (E.M.D.):**

निविदादाता को निविदा-प्रपत्र के साथ किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट जो कि नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली के पक्ष में देय हो, के माध्यम से Rs 1,50,000/- (रू एक लाख पचास हज़ार मात्र) बयाना राशि के रूप में जमा करना होगा।

L-1 बोलीदाता को कार्य आवंटित किए जाने का निर्णय लिए जाने के उपरांत असफल निविदादाताओं की बयाना-राशि बिना किसी ब्याज के उन्हें लौटा दी जाएगी। निविदा प्राप्त करने में सफल निविदादाता की बयाना-राशि कार्य सम्पन्न हो जाने तक सुरक्षा जमा-राशि के हिस्से के रूप में प्रतिधारित की जाएगी जो कि जब्त किए जाने के प्रावधान के अंतर्गत होगी।

11 **सुरक्षा-जमा राशि ( S.D.)**

सुरक्षा-जमा राशि ठेकेदार के चालू / कार्य की प्रगति के साथ होने वाले भुगतान एवं अनंतिम भुगतान बिलों की प्रत्येक बिल की सकल राशि के 8% कि दर से काटा जाएगा। सुरक्षा-जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा-जमा को कंपनी द्वारा दोष-देयता अवधि की समाप्ति तक प्रतिधारित किया जाएगा,जो कि जब्ती-क्लौज के तहत होगा ।

12 **पूर्णता अवधि** :

कार्य-स्थल सौंपे जाने के उपरांत 180 दिन की अवधि में ठेकेदार द्वारा पांचों तलो का कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। कार्य तत्काल आरंभ कर दिया जाना चाहिए।

कार्य अत्यावश्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति का है अतः ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि का पूरी कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

13 कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमो एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार के मानव-दिवसों की हानि के फलस्वरूप उत्पन्न कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी भी नुकसान के लिए NICL उत्तरद्दायी नहीं होगी।

14 प्रस्तुत निविदाएँ उनके खोले जाने की तिथि से 120 दिन की अवधि तक स्वीकार किए जाने हेतु वैध होंगी। सफल निविददाता के रूप मे घोषित कोई निविदादाता यदि तत्पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उसकी निविदा को निरस्त माना जाएगा तथा उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

15 न्यूनतम / या किसी भी निविदा को स्वीकार किए जाने हेतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाध्य नहीं है,और बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का कंपनी का सर्वाधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्य का कोई विशेष भाग अथवा कुछ विशिष्ट कार्य किसी एक अथवा अलग-अलग निविदादाताओं को आवंटित करने का भी सर्वाधिकार सुरक्षित रखती है।

16 स्वीकृत निविदा का निविदादाता नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड से इस संदर्भ में एक औपचारिक समझौता करने के लिए बाध्य होगा, जिस मानक-समझौते के अंतर्गत निविदा आमंत्रित करने की सूचना,निविदा की शर्ते ,संबन्धित अन्य दस्तावेज़, विशिष्ट शर्ते,रेखाचित्र तथा विनिर्देश आदि को समाहित किया जाएगा। कोई औपचारिक समझौता तैयार किया जाए अथवा नहीं, कार्य-निष्पादन का ठेका प्राप्त करनेवाला ठेकेदार इस टेंडर को स्वीकार किए जाने पर इसके लिए उत्तरदायी होगा। इस करार को तैयार किए जाने संबंधी सभी व्यय ठेकेदार को ही वहाँ करने होंगे स्टाम्प-शुल्क तथा दस्तावेजों का अपेक्षित पंजीयन आदि समाहित हैं।

17 ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देय मुआवजा अथवा कोई अन्य राशि उसके ईएमडी / एसडी जमा से काटी जाएगी बशर्ते राशि उसके अधीन हो, यदि ठेकेदार ऐसी किसी अतिरिक्त देयता को पूरित कर देता है तो काटी गई उक्त राशि का दस दिन के अंतर्गत नकद भुगतान कर दिया जाएगा।

18 कार्य सलाहकार के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जाएगा तथा पूर्णतया एनआईसीएल के अनुमोदन के आधीन होगा।

19 टेंडर स्वीकृत होने पर ठेकेदार नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड तथा सलाहकार दोनों को तत्काल अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम लिखित रूप में देगा जो कि सलाहकार / एनआईसीएल निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होंगे।

20 एनआईसीएल की सहमति के बिना कार्य या इसके किसी भाग को किसी भी दशा में किसी अन्य को हस्तांतरित / निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

21 ठेकेदार को इस कार्य या इससे सम्बद्ध अन्य उप कार्य के निष्पादन के लिए एनआईसीएल द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों / संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रवैय्या रखते हुए कार्य तथा सुविधाओं का समुचित प्रबंध करना होगा।

22 ठेकेदार को कार्य का बीमा आवरण लेना होगा जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कार्य अधिगृहन के एक माह बाद तक आवरित हो,या / अथवा जैसा कि करार के तहत अनुबंधित हो, के अनुसार अग्नि अथवा अन्य सामान्य जोखिमों के विरुद्ध उक्त जोखिमों के अतिरिक्त किसी अधिकृत बीमा-कंपनी की पॉलिसी के तहत स्वीकृत जोखिमों से इतर जोखिमों को आवरित करता हो।

23 ठेकेदार को श्रमिक नियमों और विनियमों से संबन्धित सभी सरकारी कृत्यों का अनुपालन करना होगा जिसके तहत श्रमिक-क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 तथा जन-देयता बीमा एक्ट 1991 के तहत आवरण लेकर समय-समय पर और उचित समय पर वांछित सभी सूचनाएँ एवं विवरण श्रम-प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी।

24 ठेकेदार को अपने खर्चे से निष्पादित कार्य की समस्त मदों से सम्बद्ध कार्यों का पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटो जो कि अनुमोदित कार्य के दो हिस्सों से लिया गया हो,कार्य की प्रगति के दौरान दो सप्ताह से अधिक की अवधि का न हो, तथा कार्य के हर महत्वपूर्ण स्तर से सम्बद्ध हो तीन प्रतियों मे सलाहकार को उपलब्द्ध कराना होगा /या फिर जैसा भी सलाहकारों / या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्देशित किया जाए,तदनुसार करना होगा।

25 कार्य-निष्पादन के दौरान ठेकेदार को इन दस्तावेजों के साथ सम्बद्ध सुरक्षा-मानकों के प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा।

26 निविदादाता को रु 100/- (रु एक सौ मात्र) के नॉन-जुड़ीशियरी स्टाम्प पेपर,जो कि नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हो, पर ये वचन देना होगा कि उन्हें विगत पाँच वर्षों की अवधि में कभी किसी सरकारी विभाग,सरकारी उपक्रम /भारत के किसी उदद्योग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और न ही उन्होने कभी कोई कार्य पूरा किए बिना बीच में छोड़ा नहीं है।

**नमूना प्रति**

भरने हेतु नहीं, अनुबंध अवार्ड के समय निष्पादित होने हेतु

**अनुबंध अनुच्छेद**

उपयुक्त मूल्य का मुहर लगे दस्तावेज

इस अनुबंध पर दो हजार सत्रह के \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ माह के \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ दिवस (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2017) पर\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ में किया गया।

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक संस्था, प्रधान कार्यालय, 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता, 700 071, अपने ................... द्वारा प्रतिनिधित्व किया है, (तत्पश्चात “कंपनी” के रुप में संदर्भित हो जो अभिव्यक्ति का अर्थ और शामिल होगा, जहाँ भी इस संदर्भ में आवश्यक है या इसके वारिश, नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारियों में रुचि और प्रशासक स्वीकृत करते है)।

और

..................................... ठेकेदार जिसका कार्यालय .............................................. (पता) में हो (तत्पश्चात “ठेकेदार” के रुप में संदर्भित हो, जो अभिव्यक्ति का अर्थ और शामिल होगा, जहाँ भी इस संदर्भ में आवश्यक हो या इसके उत्तराधिकारियों में रुचि, प्रशासक और निष्पादक स्वीकृत करते है), के मध्य हुआ।

साक्षी निम्नवत हैः

1. जबकि कंपनी, भारत सरकार का उपक्रम, व्यवसाय में प्रवृत्त है जिसका देशभर में कार्यालय है।
2. जबकि कंपनी पक्षों द्वारा पारस्परिक रुप से सहमति हेतु विचार करने के लिए ........................................ (कार्य का नाम)

.................................... (ठेकेदार का नाम) की सेवाएं लेने का इच्छुक है

अब उपरोक्त के विचारार्थ व इसमें शामिल पक्षों के अनुबंधों का यह अनुबंध गवाह है, कंपनी एतद्द्वारा स्वीकृत किया गया है संबंधित पारस्परिक नियम व शर्तों निम्नवत हैः-

1. **नियुक्त**

कंपनी एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित कार्य करने हेतु उपरोक्त नामित ठेकेदार नियुक्त करना और ............................................... (कार्य का नाम) के संबंध में उपरोक्त कार्य को करने हेतु श्रमिक को सेवा में रखना है।

1. **अनुबंध समझौता का अवधि/कार्यकालः**

इस अनुबंध के तहत कंपनी द्वारा ठेकेदार का कार्य, निश्चित रुप से, ................................ माह के अवधि हेतु होगी जो .............................. से आरम्भ होगी। यह अनुबंध समापन पर स्वचालित रुप से निलम्बित हो जाएगा, जब तक कि आपसी समझौता से इसे विस्तारित न किया जाए।

1. **ठेकेदार का कार्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व**
   1. ठेकेदार इस अनुबंध के संविदा शर्तों में निर्धारित सभी कार्यो को करेगा और उपरोक्त उद्देश्य हेतु श्रमिक सेवा में रख सकता है, जिसकी न्यूनतम संख्या कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
   2. ठेकेदार एतद्द्वारा सहमत होगा और श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों और उसके नियोजित श्रम के संबंध में औद्योगिक कानून का पालन करने की पुष्टि करेगा।
   3. ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, १९७० का धारा १२ के तहत प्रदान किए गये लाइसेंस हेतु आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा वर्ष के किसी भी दिन जब भी वह २० या अधिक श्रमिको को रोजगार देगा ओर उसका नवीनीकरन प्राप्त

करेगा

* 3.4 ठेकेदार,श्रमिक अनुबंध (विनियमन एवं उन्मूलन) एक्ट 1970 के खंड 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा एवं प्रत्येक शाखा और कार्यालय के लिए एक पृथक यूनिट के तौर पर अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।
* 3.5 ठेकेदार, लाइसेन्स जारी करने वाली संस्था द्वारा लाइसेन्स जारी किए जाने के समय लागू किए गए सभी नियमों एवं शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करेगा और कंपनी किसी भी में इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
* 3.6 ठेकेदार कामगारों के वेतन, उपरी कार्य घंटों के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त वेतन सहित के समयबद्ध भुगतान के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा।
* 3.7 ठेकेदार को विधिवत एक रजिस्टर बनाना होगा जिसमे ठेके पर रखे गए श्रमिकों का पूर्ण विवरण ,उनके कार्य की प्रकृति, मजदूरी-दर आदि का पूरा विवरण अंकित करना होगा।
* 3.8 ठेकेदार को निम्नांकित श्रम-क़ानूनों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा-

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

(iv) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, यदि ईएसआई अधिनियम लागू न हो तब

3.9 ठेकेदार को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के तहत एक स्वतंत्र कोड नंबर प्राप्त करना होगा।

3.10 ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि टेंडर दस्तावेज़ में वर्णित कार्य-निष्पादन की पूर्ण अवधि के दौरान,श्रमिक-करार (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों एवं अन्य दूसरे लागू श्रम कानूनों का अद्यतन स्वरूप में अनुपालन किया जा रहा है।

3.11 श्रमिक कार्य एवं व्यवहार से संबन्धित नियमों और विनियमों की शर्तों के निर्वहन के लिए ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा कंपनी किसी भी समय ,किसी भी प्रकार इन सबके लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

3.12 ठेकेदार अथवा उसके श्रमिकों को किसी भी समय या स्थिति में,कंपनी के विरुद्ध कोई भी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3.13 ठेकेदार द्वारा की गई किसी चूक के चलते कंपनी के ऊपर आनेवाली किसी भी देयता के लिए ठेकेदार कंपनी को पूरी क्षतिपूर्ति करेगा।

3.14 किसी भी उद्देश्य से ठेकेदार या उसके श्रमिक कंपनी के कर्मचारी के रूप मे व्यवहृत नहीं किए जाएंगे। वे कंपनी मे कोई नौकरी या नियमित रोजगार के लिए किसी प्रकार के दावे,अधिकार अथवा वरीयता के पात्र नहीं होंगे।

3.15 ठेकेदार यदि अनुबंध के तहत वर्णित कार्य को करने मे असमर्थ रहता है या उसकी अवहेलना करता है तो कंपनी समझौते के क्लॉज़ 6 के अनुसार उसकी सेवाओं को समाप्त कर किसी अन्य से /अन्य के माध्यम से कार्य करवाने तथा कार्य पूर्ण न होने से हुई हानि तथा वैकल्पिक व्यवस्था मे होने वाले वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति का अधिकार रखती है।

**4. पारिश्रमिक**

4.1 कंपनी इस करार के प्रावधानों के तहत दी गई सेवाओं के लिए ठेकेदार को पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। बशर्ते ये पारिश्रमिक केवल तभी भुगतान योग्य होगा जबकि ठेकेदार ने अनुबंध के तहत वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कार्य से संबन्धित उत्तरदायित्वों को कंपनी की संतुष्टि के स्तर पर संपादित किया हो।

4.2 कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक-दर का निर्धारण समय-समय पर कंपनी एवं ठेकेदार के मध्य आपसी सहमति के आधार पर लिखित रूप में सुनिश्चित किया जाएगा जो कि इस अनुबंध के एक हिस्से के रूप में समझा जाएगा।

4.3 भुगतान किया जानेवाला पारिश्रमिक स्त्रोत-कर-कटौती के अध्याधीन होगा।

**5 विविध**

5.1 इस अनुबंध के तहत ठेकेदार अपने किन्ही अधिकारों /कर्तव्यों को किसी भी तीसरे व्यक्ति/यों, कारोबारी/यों, फर्म /ओ, कंपनी/ओं अथवा संस्था/ओं को निरूपित,प्रत्यायोजित या हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

* 5.2 ठेकेदार इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात भी, अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को किसी या सभी दावों के नुकसान, मांग, क्षति, आदि की क्षतिपूर्ति करेगा, जो कंपनी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को इस समझौते की शर्तों को पूरा करते समय ठेकेदार द्वारा प्रतिबद्ध कृत्यों, चूक, कार्य, चीजों, चूक और आढ़त आदि के कारण भुगतना पड़ सकता है।
* 5.3 इस अनुबन्ध में कोई परिवर्तन और/अथवा कोई संशोधन केवल तभी मान्य एवं बाध्य होगा जबकि दोनों पक्षों ने उसपर परस्पर सहमति से लिखित रूप में बनाया हो।
* 5.4 इसमे निहित कोई प्रावधान यदि गैर-कानूनी होता है,या किसी भी एक पक्ष द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अयोग्य होता है,और जिस किसी भी कारण से व्यर्थ और अप्रभावी होता है,उस प्रावधान को इस अनुबन्ध से हटा दिया जाएगा जैसे कि वे कभी उस अनुबन्ध का हिस्सा ही न थे,जबकि अन्य प्रावधान पूर्ववत वैध रहेंगे और उनका अनुपालन किया जाता रहेगा।

**6 समापन /समाप्ति**

कंपनी के मतानुसार यदि ठेकेदार, अनुबन्ध के नियमों और शर्तों में से किसी एक अथवा सभी का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनकी अवहेलना करता है,तो कंपनी बिना कोई कारण बताए ठेकेदार को 30 दिन की लिखित सूचना देकर उसके साथ इस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है,और ठेकेदार को इस संबंध में कंपनी से किसी भी प्रकार की कोई क्षति / हर्जाना का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**7 सूचनाएं**

इस अनुबन्ध के तहत दी जाने वाली अपेक्षित सभी सूचनाएँ यदि रजिस्टेर्ड एडी डाक से प्रेषित की गई हैं या पावती प्राप्त कर व्यक्तिशः उपलब्ध कराई गई है,तो उन्हें पर्याप्त समुचित माना जाएगा।

सेवा में,

नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

एनएलवी ऑफिस,

2E/9 प्रथम तल,झंडेवालांन एक्सटेंसन

नई दिल्ली - 110055

ठेकेदार ..........................

**8. नियंत्रक कानून और अधिकार क्षेत्र**

यह अनुबन्ध भारत के कानूनों के अनुसार समझा और व्याख्यायित किया जाएगा। भारत में अन्यत्र स्थित अन्य सभी अदालतों को वर्जित करते हुए केवल नई दिल्ली शहर स्थित अदालतों को ही इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से निपटने की कोशिश करने का क्षेत्राधिकार होगा।

**9 विवाद का समाधान**

इस अनुबंध से संबंधित किसी भी मामले में दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद /ओं अथवा मतैक्य /ओं, कार्य से पृथक किए जाने के संबंध सहित, तो कंपनी के विकल्प पर उसे कंपनी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और यदि कोई हो, तो इस तरह के मध्यस्थता पर लागू होगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

10. इस समझौते की मूल-प्रति कंपनी के पास होगी और हस्ताक्षरित डुप्लिकेट या अनुबंध की फोटोकॉपी ठेकेदार को सौंप दी जाएगी।

साक्ष्य-स्वरूप यहाँ उपर्युक्त पक्षों ने दिन,दिनांक,माह और वर्ष में निम्नांकित उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में अभिप्रमाणित किया गया है:

गवाह

1. एनआईसी लिमिटेड के लिए

2. ठेकेदारों के लिए

( ठेकेदार के हस्ताक्षर मुहर सहित)

**अनुबंध की शर्तें**

* विवेचनात्मक उपनियम

I इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध करार के निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के वो ही अर्थ यहां लिए जाएंगे जो कि उनके लिए यहां नियत किए गए हैं,केवल उन मामलों को छोड़कर जहां विषय या परिस्थितियों के अनुरूप इतर अर्थ लिया जाना अपेक्षित हो।

ii संविदा की शर्तों के शीर्षकों और गैर-मामूली टिप्पणियों को संविदा का भाग नहीं माना जाएगा और संविदा के निर्माण या उसकी विवेचना के समय भी इसपर विचार नहीं किया जाएगा।

iii परिस्थितिजन्य आवश्यकतानुसार (I) व्यक्तियों शब्द से अभिप्राय फर्म्स, कोरपोरेसन्स एवं (ii) एकवचन वाले शब्दों से भी बहुवचन का और बहुवचन वाले शब्दों का एकवचन से,जैसा अपेक्षित हो,अभिप्राय लिया जाएगा।

iv नियोक्ता से तात्पर्य- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,पंजीकृत प्रधान कार्यालय ,3 मिडिल्टन स्ट्रीट, कोलकाता - 700071.

v परामर्शदाता; से तात्पर्य मेसर्स डिज़ाइन डेल ग्राटिया प्राइवेट लिमिटेड,वास्तुविद एवं अभियंता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अथवा इस अनुबंध में परामर्शदाता के रूप में उनके कार्य-स्थगन की स्थिति में इस उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा स्वीकृत प्रावधानों के तहत अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों को नामित किया जाएगा।

vi ठेकेदार से तात्पर्य......................................................................

एवं उसके /उनके कानूनी प्रतिनिधि, वारिस अथवा उत्तराधिकारी को भी समाहित किया जाएगा।

vii निर्माण-स्थल ;

V.**परामर्शदाता** से मतलब इस अनुबंध के उदेश्य हेतु मेसर्स डिज़ाइन डे ग्रेशिया प्राइवेट लिमिटेड आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर, परियोजना प्रबंधन या अपने कार्य के स्थगन पर बने परामर्शदाता से होगा I ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा इस उदेश्य, ऐसे पात्रता प्रावधान की विषय वस्तु पर सहमति दी जा सकती है, के लिए चयनित होना होगा I

VI.**ठेकेदार** से मतलब -------------------------------------------- और उसके/उनके विधिक प्रतिनिधि, अनुमत वारिस ओर उत्तराधिकारी से होगा I

VII.**स्थान** से मतलब, जहां कार्य, ठेकेदार के प्रयोग हेतु नियोक्ता द्वारा आबंटित किसी बिल्डिंग एवं ईरेक्शन सहित स्थान योजना में दर्शाया गया, निष्पादित किया जाना है से होगा I

VIII.**अनुबंध** से मतलब निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा शर्तों का प्रारूप, अपनी प्रस्तावना सहित ड्राइंग एवं बिल का मूल्य, उसकी स्वीकार्यता, करारनामा पत्र, अपनी परिशिष्ठ एवं विशेष शर्तों सहित अनुबंध की शर्तों के साथ, यदि है तो, शर्तों में उल्लेखित, डिज़ाइन, ड्राइंग तथा परामर्शदाता/नियोक्ता द्वारा समय समय पर जारी निर्देश तथा एक साथ प्राप्त किए गए सभी दस्तावेजो पर एक अनुबंध के रूप में विचार किया जाएगा तथा एक दूसरे से पूरक समझा जाएगा I

IX.**बिलों का मूल्य** : भिन्न भिन्न रूप से अंकित बिलों का मूल्य, अंकित दरें निविदा आमंत्रण सूचना के साथ मूल रूप से संलग्न मूल्यों की सूची ,निविदार द्वारा विधिवत अंकित तथा कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को देय क्षतिपूर्ति के लिए अनुबंध के रूप में समावेशन के लिए नियोक्ता द्वारा स्विकृती से मतलब होगा तथा अनुबंध क़रारनामा के अंश के रूप में इसे भी अनुबंध अनुसूची के रूप में उलेक्खित किया जाएगा I

X.**लिखित में सूचना** या लिखित सूचना का मतलब पिछले कार्यालय या व्यावसायिक पते या प्रेषिती के पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे लिखित में, अंकित या मुद्रित वर्णो (अन्यथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त या प्राप्त हो चुकी का प्रमाण) से होगा तथा सामानय डाक द्वारा भेजे जाने पर, प्राप्त हो चुकी पर विचार किया जाएगा I

XI.**एक्ट ऑफ इनसोल्वेंसी** : प्रेसीडेंसी टाऊन इनसोल्वेंसी एक्ट या प्रोविनशियल इनसोल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल में हुए विस्तृत संशोधन में किसी भी एक्ट ऑफ इनसोल्वेंसी से मतलब होगा I

XII.**शुद्ध मूल्य**: यदि ठेकेदार द्वारा निविदा की सभी मदों को प्रतिशत के रूप में या भिन्न प्रकार से अनुबंध के रकम में कुछ राशि जोडी या घटी हुई प्राप्त होती है तो निविदा में किसी भी मद का निवल मूल्य निविदा में वास्तविक अंको में जोड़ या घटाये हुए प्राप्त हुई रकम समझा जाएगा चूंकि ठेकेदार द्वारा उस मद का समान प्रतिशत मूल्य या जोड़े या घटाई गई आनुपातिक राशि दी गयी है, किसी भी मद के लिए अंकित मूल्य की पूर्ण राशि या अस्थायी राशि, पूर्ण राशि या निविदा से काट ली जाएगी I जब अनुबंध या लेखे के संबंध में प्रयोग में लायी गयी होगी, निवल मूल्य की अभिव्यक्ति ऐसी प्राप्त की गयी दरों या मूल्य से होगी I

XIII.**निर्माण कार्य** (कार्य), ऐसे निर्माण के विषय या अरुचिकर संदर्भ में कुछ नही पाया जाता है तो, का मतलब कार्य करने से या निष्पादित किए गए अनुबंधित अनुबंध, या अस्थायी या स्थायी तथा या मूल, परिवर्तित, पूरक या अतिरिक्त, को ईमानदारी से करना होगा I जंहा कहीं भी ‘निर्माण कार्य’ शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी “संस्थापन” की परिभाषा के तहत समाविष्ट होगाI

XIV. **निष्पादित कार्य** वें कार्य है जो दंगे (अन्यथा ठेकेदार के कर्मचारी के बीच तथा आपसी हंगामा) ये दोनों ही गैर बीमा लड़ाई (चाहे घोषित की गयी हो या नहीं), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं का कर्म, आपसी लड़ाई, आंदोलन, विद्रोह, सेना या दबा देने वाली शक्ति, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही, वायुयान से नुकसान, देविक घटना जैसे भूकंप, बिजली एवं बाढ़ तथा इससे अलग कारण जो ठेकेदार के नियंत्रण में न हो तथा नियोक्ता द्वारा ऐसे स्वीकृत किए गए या व्यवसाय जिसके लिए कार्य/संस्थापन जिसके लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो या कार्य के गलत डिज़ाइन के दौरान उत्तपन किसी कारण से है I

XV.**अस्थायी मदों** का मतलब उन मदों से होगा जो लगभग मात्रा के करीब, निविदा दस्तावेजो में दी गयी है, होगी I

XVI.**निर्माण कार्य / संस्थापन** का वास्तविक समापन का मतलब अनुबंध के अनुसार तथा परामर्शदाता, नियोक्ता को समान कार्य का अधिकार देते हुए, द्वारा अनुमोदित निर्माण कार्य/संस्थापन के संतोषजनक समापन से होगा

2.**एन आई सी एल निर्देश** : ठेकेदार को कार्य को तथा उसके किसी भाग को संतोषजनक तथा ईमानदारी तथा नियोक्ता द्वारा दिये गए कार्य के संदर्भ में ड्राइंग के विनिर्देश, ड्राइंग तथा निर्देश, तथा परामर्शदाता के निर्देश एवं पर्यावेक्षण के अधीन तथा नियोक्ता जो अपने विवेक तथा अग्रदर्शी ड्राइंग,तथा/या लिखित निर्देश, विनिर्देश , विस्तृत तथा व्याख्या में समय समय पर जारी जोकि बाद में समूहिक रूप से जिक्र किया किया गाय है, द्वारा सभी मामलों में अनुमोदन के लिए वास्तविक एवं पूर्ण रूप से तथा ईमानदारी से पुष्टि करते हुए, के अनुसार सख्ती से सभी मामले में दोनों के संदर्भ में सामग्री का तथा दूसरे प्रकार से निष्पादित करना होगा I

i.किसी कार्य की डिज़ाइन की गुणवता या कार्य की मात्रा में भिन्नता या परिवर्तन या जोड़ या छेड़-छाड़

ii.ड्राइंग में या मात्रायों के अनुसूची के बीच तथा/या ड्राइंग तथा/या विनिर्देशों में कोई भिन्नता

iii.ठेकेदार द्वारा लाये गए भविषय में किसी भी समान को कार्यस्थल से हटाना तथा उसका अन्य किसी उपकरण से प्रतिस्थापन

iv.उसके बाद नियुक्त किए हुए किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य से निकाल देना I

v.कवर किए हुए किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खोलनाI

vi.खंड 19 के तहत किसी क्षति में संशोधन तथा हितकर बनाना I

vii.खंड 18 के तहत क्षति के लिए ठेकेदार द्वारा निष्पादित कोई भी कार्य को निपटान/पुन:निष्पादन

ठेकेदार को तुरंत अनुपालन करना होगा तथा ऐसी निर्देशों में समाविष्ट कोई कार्य विधिवत निष्पादित करना होगा बरशरतें कि ठेकेदार या नियोक्त द्वारा नियुक्त उसके प्रतिनिधि को दी गयी मोखिक आदेश, निर्देश तथा व्याख्यान 7 दिनों के अंदर ठेकेदार द्वारा लिखित में यदि भिन्नता होती है तो स्थायी होंगे तथा यदि नियोक्ता द्वारा आगे के 7 दिनों में लिखित से असहमति नहीं है तो ऐसे को अनुबंध के कार्यक्षेत्र के अंदर, दी गयी विनिर्देश में विचार किया जाएगा I

**कार्य निष्पादन का तरीका** : परामर्शदाता/नियोक्ता किस विषय या विषयो पर या निर्माण कार्य किस भांति शुरू किए गए है , समय पर निपटाए गए है, हकदार होंगे I

**नियोक्ता द्वारा अनुमोदित परिवर्तन** : इसमे कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, परामर्शदाता या उसके प्रतिनिधि, लिखित पूर्व सहमति के बिना, जिसका परिणाम नियोक्ता को 2500/- से अधिक की अतिरिक्त राशि ठेकेदार को अदा तथा नियोक्ता द्वारा जारी की गयी, ऐसे सभी निर्देश के लिए बाध्य होंगे I ठेकेदार को परामर्शदाता द्वारा दरों की छानबीन, वाउचर इत्यादि का ब्योरा जमा करना होगा I शर्तों एवं खंड 16 के तहत नियोक्ता की जांच की दरों तथा अंतिम स्वीकृति मात्रयों की पूरक अनुसूची के रुप में होंगी I

3.**करारनामे की प्रतियाँ दी जाएगी** : अनुबंध दस्तावेज़ नियोक्ता की निगरानी में रखी जाएगी तथा परामर्शदाता या ठेकेदार द्वारा मांगे जाने पर उस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी I इन पर हस्ताक्षर करने पर ठेकेदार को परामर्शदाता द्वारा निशुल्क निर्माण कार्य के क़रारनामा की प्रमाणित प्रति तथा सभी ड्राइंग की प्रत्येक प्रति संलग्न करनी होगी तथा परामर्शदाता/नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि को उचित समय पर उसी जगह होना होगा I ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उसे यदि अवशयक हो, सभी ड्राइंग एवं विनिर्देशों को नियोक्ता को तुरंत वापिस करना होगा I

4.**ठेकेदार को सभी वांछित जानकारी प्रदान करना होगा** : ठेकेदार को निर्माण कार्यों के लिए अपनी निविदा की यथार्थता एवं दक्षता के लिए निविदा भरने से पूर्व खुद को संतुष्ट होने पर ही विचार किया जाएगा तथा दरों एवं राशि को स्वीकार किया जाएगा यदि ठेकेदार के अधीन उनके सभी दायित्व सम्मिलित हो, तथा कार्य समापन के लिए सभी काम एवं विषय वांछित होंगे I

ठेकेदार अपने खर्चे पर सभी सामान (ऐसे सामान को छोड़कर यदि है तो जैसा कि अनुबंध के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है) मशीनरी, यंत्र, औजार, उपकरण, सामग्री, लैडर कोरडेज़, लेकल, मचान प्रदान करेगा वास्तव में, कार्य के उचित निष्पादन के लिए चाहे मूल, परिवर्तित या यथार्थ उदेश्य के अनुरूप अनुपूरक या एक दूसरे के लिए अनुपूरक रहे हो, या समुचित रूप से उपरोक्त में से अनुमान किए या नही किया जा सकता हो, सभी आवशयक एवं उचित है तथा यदि ठेकेदार ड्राइंग में या ड्राइंग के बीच, मात्रयों की अनुसूची एवं विनिर्देश में कोई अंतर पाया जाता है तो उसे ठेकेदार/नियोक्ता को तुरंत लिखित में भेजेगा जो निर्णय करेगा कि किस प्रकार निम्न का पालन किया जाना है :

i.किसी भी या अन्य (a)ड्राइंग,(b)विनिर्देश,(c)अनुबंध सूची में कुछ भी दर्शाये या समाविष्ट तथा अन्य में दर्शाये नही गए सामानरूप से, यदि येँ सभी में समाविष्ट हो तो, बाध्यकारी होंगे I

ii.नक्शे में दिया गया आयामो के पैमाने की प्राथमिकता के अंतर्गत तथा विस्तृत बड़े पैमाने, छोटे पैमाने की ड्राइंग के प्राथमिकता के अंतर्गत अनुकरण करने होंगे I

iii.प्राथमिकता के निम्न आदेश लागू होंगे:

मात्र के बिल के तहत तैयार (a) ड्राइंग,(b) विनिर्देश (c) तकनीकी विनिर्देश

**5क)** : ठेकेदार को निर्माण कार्य से संबन्धित विधानसभा के किसी भी नियम तथा विनिर्देश तथा किसी भी प्राधिकरण के उपनियम की पुष्टि करनी होगी तथा यदि जिस किसी जल, बिजली तथा अन्य कंपनियां तथा/या प्राधिकरण का सरंचना पद्धति का निर्माण प्रस्तावित है तथा ड्राविंग या विनिर्देश में कोई परिवर्तन से पूर्व नियोक्ता को लिखित में, प्रस्तावित किए गए परिवर्तन का विस्तृत विवरण तथा कारण बताते हुए, पुष्टि देते हुए अनिवार्य तथा इन निर्देशों को लागू कराया जा सकता है I यदि ठेकेदार को ऐसा कोई भी निर्देश 10 दिनों के अंदर प्राप्त नही होता है तो प्रावधानों, विनियम या उपनियम में किसी प्रश्न की पुष्टि करते हुए, वह कार्य को शुरु कर देगा I प्रश्नों में दिए गए विनियम या उप-कानून और इस तरह आवश्यक किसी भी बदलाव को खंड 12 और धारा 16 के तहत निपटा जाएगा।

ठेकेदार उक्त अधिनियम, नियमों या उप-नियमों के द्वारा आवश्यक सभी सूचनाओं को नियोक्ता के ध्यान में लाएगा और किसी भी प्राधिकरण को या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को उन कार्यों से संबद्ध सभी फीस का भुगतान करेगा जो उचित रूप से लागू हो सकते हैं और रसीदों को नियोक्ता के समक्ष पेश करेगा।

ठीकेदार नियोक्ता के सभी दावों की क्षतिपूर्ति करेगा जो पेटेंट राइट्स से संबंधित हैं और ऐसे दावों से उत्पन्न सभी कार्यों को पारिभाषित करेगा error और स्वयं के सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षति, लागत और सभी प्रकार के आरोपों का भुगतान करेगा जो वैध रूप से सम्मान में किए जा सकते हैं।

नियोक्ता को मौजूदा नियमों और नियमों के अनुसार ठेकेदार को मिलनेवाले किसी भी रूपयों में से सभी करों और दरों में कटौती करने का हकदार है।

5. ब) errorठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि श्रमिक / कामगार कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 के तहत शामिल किए गए है और ऐसी देयता,अगर कोई हो तो, इसमें ठेकेदार की पूरी जिम्मेवारी होगी। इस दायित्व से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही में प्रिंसिपल (एनआईसीएल) एक पार्टी नहीं होगा। यह समझा जाता है कि ठेकेदार नियोक्ता को किसी भी कानूनी कार्यवाही से संबंधित सभी लागतों और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

5. स) errorठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा जो सभी दावों, मांगों, कार्यवाही के नुकसान से या उसके विरुद्ध किसी भी कार्य या मंजूरी, केंद्रीय या राज्य, नियमों, विनियमों के किसी भी प्रावधान या आवश्यकताओं की पुष्टि या अनुपालन, स्थानीय अधिकारियों, पंचायत, कलेक्टर या साइट पर पानी, बिजली या अन्य सुविधाओं से संबंधित या किसी अन्य कंपनी / निकायों के उप-नियम आदि से संबंधित है।

6. ठेकेदार कार्य की व्यवस्था हेतु जिम्मेदार: ठेकेदार परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य के लिए आवश्यक आयाम चित्रों और सूचना के आधार पर अपने स्वयं के खर्च पर साइट पर काम करेगा और स्थितियों की शुद्धता,स्तरों, आयामों और सेटिंग की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा और परामर्शदाता या नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा कार्य की व्यवस्था के संबंध में कोई भी संशोधन अपनी लागत और सलाहकार / नियोक्ता की संतुष्टि के लिए, किसी भी स्थिति में प्रगति के दौरान किसी भी स्तर पर स्थापित सेटिंग में गड़बड़ी या गलत होने पर या कार्य के पूरा होने के बाद दोषों की देयता अवधि के दौरान किसी भी त्रुटि का संशोधन करेगा

7.1 ठेकेदार साइट पर सभी रजिस्टरों को बनाकर रखेगा, जो अद्यतित, सामग्री / लेख / माल की प्रकृति, उनकी पहचान के निशान, तारीखों और परीक्षणों के परिणाम आदि को प्रदर्शित करेगा। साइट पर ऐसे रजिस्टरों को सलाहकार के प्रतिनिधियों व परामर्शदाता तथा नियोक्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। रजिस्टरों के प्रारूप को पारस्परिक सहमति से बनाया जाएगा।  
  
7.2 सलाहकार द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित रजिस्टरों की एक कम्प्यूटरीकृत कॉपी कंपनी को प्रत्येक माह की शुरुआत में प्रस्तुत की जाएगी ।  
  
7.3 परीक्षण परिचालन में शामिल सेट, सामग्री और श्रम तथा उपकरणों की लागत, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा सभी मामलों में वहन किया जाएगा अन्यथा अनुबंध में प्रदान किए गए हैं।

1. **ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षण:** कार्यों के निष्पादन के दौरान ठेकेदार सभी आवश्यक व्यक्तिगत निरीक्षण प्रदान करेगा, एवं उसके बाद जब तक परामर्शदाता/ नियोक्ता उचित समझें “दोष के दायित्व की अवधि” के समाप्ति तक और इसमें खंड 9 में संतुष्ट होने तक। जब कार्य प्रगति में है उस पूरे समय के दौरान ठेकेदार, एक सक्षम और योग्य प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जिसका नाम परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और जो लोगों के कार्य करते समय पर्यवेक्षक का काम करेंगे। परामर्शदाता/ नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिया गया कोई भी दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना ठेकेदार को दिये गए के रूप में माने जाएँगे। यदि ठेकेदार उपरोक्त अनुसार एक सक्षम और योग्य प्रतिनिधि को नियुक्त करने एवं उन्हें कार्य में लगाने में असफल रहा, **तो परामर्शदाता/ नियोक्ता** के पास कार्यों को स्थगित रखने की शक्ति होगी जब तक उपरोक्त अनुसार एक सक्षम योग्य प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया जाता एवं ठेकेदार कार्यों के ऐसे स्थगन की याचिका पर समय विस्तार की माँग करने का हकदार नहीं होगा।
2. **मज़दूर की बर्खास्तगी:** ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर तुरंत ही उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति को कार्यों से बर्खास्त कर सकता है, जिसे परिचालक/ नियोक्ता की अनुमति के बिना ठेकेदार की राय में फिर से काम पर नियोजित नहीं किया जा सकता।
3. **कार्यों तक पहुँच:** नियोक्ता, परामर्शदाता एवं उसके संबन्धित प्रतिनिधियों के पास कार्यों एवं/ या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य जगह जहाँ सामग्री रखी गई हैं या जहाँ से वे प्राप्त हुई हैं एवं उसके संबन्धित प्रतिनिधि, कारीगरी एवं सामग्री के परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु आवश्यक सभी उचित सुविधाओं तक मुफ्त में पहुँच उपलब्ध है। जनअधिकारी के प्रतिनिधियों के अलावा नियोक्ता या परामर्शदाता द्वारा अनधिक़त कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर कार्य नहीं कर सकता।
4. **कार्य को किसी और के द्वारा न कराया जाना:** संविदा में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो संविदा या उसके किसी हिस्से को या उससे संबन्धित रूचि को नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, निर्धारित या किसी और के द्वारा नहीं कराएगा, एवं कोई भी वचन ठेकेदार को कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से ठेकेदार को मुक्त नहीं कर सकता।

12.1 **संविदा को विकृत न करने के लिए बदलाव:** कोई भी परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को विकृत नहीं कर सकता लेकिन यदि परामर्शदाता/ नियोक्ता को कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय मूल चित्रों, विनिर्देशों, डिजाइन एवं निर्देशों में कोई परिवर्तन करना या उसमें जोड़ना या उससे कुछ हटाना या उनका प्रतिस्थापन करना या कार्य में इस्तेमाल किये गये सामग्रियों की गुणवत्ता या प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित लगे और इस संबन्धी ठेकेदार को लिखित में सूचना दे तो ठेकेदार जैसे मामले की आवश्यकता हो, ऐसी सूचना के अनुसार परिवर्तन, जुड़ाव या हटा या प्रतिस्थापन कर सकता है और उन सभी मामलों में समान परिस्थितियों जिन पर वह मुख्य कार्य करने के लिए सहमत है उन सभी परिस्थितियों पर संशोधित कार्य करेगा, लेकिन ठेकेदार **नियोक्ता** के लिखित में पूर्व सहमति के बिना संविदा चित्र या विनिर्देशो, संविदा शर्तों के किसी भी प्रावधानों से कोई विचलन या कार्यों में प्रतिस्थापन करने या उससे हटाने या उसमें जोड़ने या कोई परिवर्तन करने के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तन, जुड़ाव या चूक या प्रतिस्थापन का मूल्य सभी मामलों में इस संबन्ध में खंड 16 के प्रावधानों के अनुसार में नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन सहित परामर्शदाता/ नियोक्ता द्वरा ही तय किया जाएगा, और यह मूल्य तदनुसार संविदा राशि में/से जोड़ा/ घटाया जाएगा।

12.2 मात्रा के अनुसूची में दिखाए गए कार्य के किसी भी वस्तु या वर्ग के निष्पादन से प्रासंगिक कार्य करने के किसी हिस्से की आपूर्ति और निष्पादन ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान का हकदार बनाते हुए किसी विचलन की स्थापना नहीं करेगा बशर्ते कार्य के कथित वस्तु या वर्ग का निष्पादन चित्र एवं विशिष्टताओं के सही अर्थ के अनुसार संतोषजनक ढंग से उपरोक्त कथित हिस्से या उससे प्रासंगिक कथित कार्य के बिना नहीं किया जा सकता फिर चाहे यह चित्र, विशिष्टताओं एवं मात्रा की अनुसूची में दिखाया या वर्णित किया गया हो या नहीं एवं बशर्ते इससे उपरोक्त का अनुमान लगाया जा सके।

12.2.1 काम पूरा करने के समय को, प्राधिकृत भिन्नताओं से उत्पन्न संविदा राशि के 10% से अतिरिक्त में जुड़ाव की घटना सहित, ठेकेदार द्वारा भुगतान किये जाने पर निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया जाएगाः

क) उस अनुपात में जो प्राधिकृत विचलन सहित कुल निष्पादित संविदा मूल्य मूल संविदा मूल्य हेतु वहन करता है, ऐसे अनुपात के लिए सलाहकार का प्रमाणपत्र निर्णायक है।

ख) उपरोक्त या ऐसे अतिरिक्त समय पर गणना किये गये अतिरिक्त समय का 25% जो नियोक्ता द्वारा उचित माना जाए

* 1. ठीक इसी प्रकार, कार्य की स्थिति को एक से दूसरे में बदलना या चित्र में दिखाए गए या विनिर्देशों या अनुबंध अनुसूची में वर्णित स्थिति की तुलना में अधिक कठीन स्थिति में बदलना या कार्य का निष्पादन ऐसी परिस्थितियों में करना जिसका विचार विनिर्देश में न किया गया हो या जिसके लिए ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान न किया गया हो। 

13.a **कार्य पर रोक लगाने या उसमें बदलाव लाने हेतु कोई मुआवजा नहीं:** यदि कार्य के प्रारंभ होने के बाद नियोक्ता को किसी भी कारण से,चाहे जो भी हो, यह लगे कि निविदा में निर्दिष्ट कार्य के किसी भी भाग या पूरे हिस्से का निष्पादन आवश्यक नहीं है, तो **नियोक्ता** इस बात की जानकारी ठेकेदार को नहीं देगा जो वह ठेकेदार इस कार्य के पूर्ण निष्पादन से किसी लाभ के रूप में प्राप्त कर सकता था और वह इस बात के लिए किसी मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। वह मूल विनिर्देशों, चित्रों, डिज़ाइन और निर्देशों में किये गये बदलावों जिसमें मूल रूप से विचार किये गये कार्य को कम करना शामिल है, इसके कारण किसी मुआवजे का दावा भी नहीं कर सकता

13.b **माप के मानक पर मात्रा की अनुसूची:** जब तक अन्यथा वर्णित न हो, तब तक मात्रा की अनुसूची को मापन के भारतीय मानक विधि अनुसार ही तैयार किया गया माना जाएगा।

**14. मात्रा के बिल में त्रुटियाँ:** विवरण मेंया मात्रा में या मात्रा की अनुसूची से मदों की चूक द्वारा कोई भी त्रुटि इस अनुबंध को बिगाड़ नहीं सकता लेकिन उसे सुधारा जा सकता है और खंड 16 के तहत निर्धारित अनुसार मूल्य को अनुबंध राशि में/से जोड़ा/ घटाया (जैसा भी मामला हो) जा सकता है बशर्ते ठेकेदार के दोरों की अनुसूची में त्रुटियों में कोई सुधार ना किया गया हो।

**15. निविदा में एकमुश्त प्रावधान:** जब किसी आकलन में,जिस पर निविदा बनाई गई हो, कार्य के हिस्सों के संबन्ध में एकमुश्त शामिल हो, ठेकेदार अंतर्भुक्त कार्य के मदों के संबन्ध में या कार्य के उस भाग के संबन्ध में जो उन मदों हेतु इस निविदा के तहत समान दरों पर भुगतान किया गया हो, या यदि कार्य के उस भाग का भुगतान सलाहकार की राय में माप द्वारा देय नहीं है, तो NICL अपने विवेक पर आकलन में भरे गये एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है, और ठेकेदार के खिलाफ इस खंड के तहत उसे देय राशि के संबन्ध में सलाहकार द्वारा लिखित में दिया गया प्रमाणपत्र ही अंतिम एवं निर्णायक होगा।

**16. कार्यों का मापन:** सलाहकार समय-समय पर ठेकेदार और नियोक्ता को मापा जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में सूचित कर सकता है, ठेकेदार ऐसे माप लेने और गणना करने में और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी एक को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सलाहकार या प्रतिनिधि की मदद करने हेतु एक योग्य एजेंट को भेजेगा।

बशर्ते ठेकेदार सलाहकार या उसके कार्यप्रभारी प्रतिनिधि को मापने या किसी कार्य को माप की पहुँच से परे रखने से पहले कम से कम 10 स्पष्ट दिनों का नोटिस देगा ताकि उसे मापा जा सके और तदनुसार सही आकार जाना जा सके इससे पहले कि उसे सलाहकार और उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य को दस दिनों के भीतर निरीक्षण करने की उनकी सहमति के बिना कार्य को कवर किया जाए या उसे मापन की पहुँच से परे रखा जाए और मापन का कारण बनाया जाए, यदि किसी कार्य को सलाहकार या उसे प्रतिनिधि कार्यप्रभारी की सहमति के बिना कवर किया गया हो, तो उसे ठेकेदार के खर्च पर ही कवर रहित किया जाएगा, या फिर इस तरह के कार्य या सामग्री जिसकी मदद से कार्य का निष्पादन होता उसके हेतु किसी राशि या भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यदि ठेकेदार अनुपस्थित रहा या लापरवाही की या ऐसे एजेंट को भेजने से चूक गया तो परामर्शदाता या उसके द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति द्वारा लिये गये माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप को माप के भारतीय मानक पद्धति के अनुसार लिया जाएगा, जब तक इस बारे में अनुबंध में कहीं दर्शाया नहीं गया होगा।

माप लेने के समय ठेकेदार या उसका एजेंट अपने द्वारा आवश्यक इस तरह के नोट एवं विवरण ले सकता है।

परामर्शदाता के ज्ञान के बिना किये गये सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्यों, चूक एवं सभी बदलाव, यदि बाद में उसके द्वारा लिखित रूप में मंजूरी दी गई हो(नियोक्ता का लिखित में पूर्व अनुमोदन के साथ), को इस माप में शामिल किया जाएगा।

1. **विविधता की कीमत:** अतिरिक्त, बदली, प्रतिस्थापित कार्य के दरों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार तय किया जाएगा:
   1. अनुबंध अनुसूची में दिये गये शुद्ध दर या किमतें अतिरिक्त कार्य(मदों) का (दरों का) मूल्यांकन निर्धारित करेगा जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान चरित्र का हो एवं उसका निष्पादन समान परिस्थितियों में ही हो। अतिरिक्त कार्य कूल अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
   2. यदि अनुबंध अनुसूची में अतिरिक्त, बदली या प्रतिस्थापित (विचलित) कार्य हेतु दर न दिया गया हो (उपलब्ध न हो), तो उन्हें जहाँ तक सम्भव हो, समान वस्तुओं हेतु उस अनुसूची में दिये गये दरों से तय किया जाएगा। इस तरह की व्युत्पत्ति के उद्देश्य हेतु, जहाँ ज़रूरी हो एवं जब ऐसा निर्देशित हो, ठेकेदार अनुबंध अनुसूची में कथित समान या करीब-करीब समान वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। अतिरिक्त, बदली या प्रतिस्थापित (विचलित) कार्य हेतु विश्लेषण के ऐसे भाग के लिए जिनके लिए कथित समान या करीब-करीब प्रतिस्थापित हेतु दरों के अनुकूल विश्लेषण से दरों का पता नहीं लगाया जा सकता, इस उद्देश्य में बिल/ वाउचर अपनाए जाएँगे। एक क्रम में उचित श्रम की मात्रा, NBO/CPWD से टी एवं पी एवं विविध वस्तुओं, मानक PWD डेटा/ विश्लेषण हेतु कारकों एवं स्थिरांक का इस्तेमाल करना। जब ऐसा करने के लिए कहा जाए, ठेकेदार आवश्यक खरीद बिल/ वाउचर जमा करेगा।
   3. एक अनुबंध के संबन्ध में जिसमें एक से अधिक अनुसूची शामिल हो, उपरोक्त मामला (i) में लागू दर यदि कार्य से संबन्धित अनुसूची में उपलब्ध न हो जिसमें जोड़, बदलाव या प्रतिस्थापन (विचलन) होता है, तो अन्य अनुसूची में निम्नतम लागू दर के रूप में लिया जाएगा। इसी प्रकार, उपरोक्त मामला (ii) में, यदि समान या करीब-करीब समान वस्तुओं को कार्य से संबन्धित अनुसूची में न पाया जाए जिसमें जोड़, बदलाव या प्रतिस्थापन (विचलन) होता है, तो अन्य अनुसूचिओं से समान या करीब-करीब समान वस्तुओं को अपनाया जाएगा।
   4. अतिरिक्त, बदली या जमा किये गये (विचलित) कार्य के मामले में जिसके लिए उपरोक्त (ii) और (iii) की भांति दरों का पता नहीं लगाया जा सकता, उन दरों का आकलन एक क्रम में उचित श्रम की मात्रा, NBO/CPWD से टी एवं पी एवं विविध वस्तुओं, मानक PWD डेटा/ विश्लेषण हेतु कारकों एवं स्थिरांक का इस्तेमाल करते हुए खरीद बिल/ वाउचर द्वारा प्रतिस्थापित बाज़ार दरों को अपनाकर किया जा सकता है, अतएव लाभ एवं ओवरहेड के प्रति 15% को जोड़ते हुए। जब ऐसा करने के लिए कहा जाए, ठेकेदार परामर्शदाता/ नियोक्ता को अपना खरीद बिल/ वाउचर जमा करेगा
   5. अतिरिक्त, बदली या प्रतिस्थापित (विचलित) कार्य हेतु दर के विचलन के लिए अनुबंध अनुसूची में अतिरिक्त, बदली या प्रतिस्थापित (विचलित) कार्य से समान या करीब-करीब समान कौन से विशेष वस्तुओं, को अपनाया जाएगा और अनुबंध अनुसूची में समान या करीब-करीब समान वस्तुओं से कथित दरों का पता लगाया जा सकता है कि नहीं इस बात का फैसला परामर्शदाता करेगा।
   6. (ii) से (iv) के मामले में, ठेकेदार को व्यक्त किये गये सिद्धांतों को अपनाते हुए दरों का विश्लेषण जमा करना पड़ेगा और परामर्शदाता विश्लेषण और प्रदान किये गये अन्य दस्तावेज की जाँच करने के बाद, जैसा उसे उचित लगे वैसे दरों की अनुमति देगा।
   7. जहाँ अतिरिक्त कार्य ऐसी प्रकृति का हो जिसको ठीक से मापा या मूल्यांकन किया जा सके, ठेकेदार को निविदा या मात्रा की अवधि अनुसूची में दर्शाए शुद्ध दरों पर दिन के कार्य की कीमतें दी जाएँगी या, यदि ना दर्शाई गई हो, तो सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित न्यूनतम स्थानीय दिन के कार्य की दरें एवं जिला के लिए मज़दूरी के अनुसार दी जाएगी, बशर्ते किसी भी मामले में, यदि परामर्शदाता द्वारा आवश्यक हो, तो कथित कार्य पर नियुक्त श्रम एवं विकसित वस्तुओं के उचित सत्यापन हेतु आवश्यक वाउचर, मस्टर रोल, एवं अन्य दस्तावेजों और इस संबन्धित कीमतों को परामर्शदाता या उसके प्रतिनिधिओं को हफ्ते के अंत तक या उससे पहले वितरित होंगी जिसके तहत कार्य निष्पादित की गई हो।

अतिरिक्त कार्य ऐसी प्रकृति का है या नहीं जिसको ठीक से मापा या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इस बात का फैसला परामर्शदाता द्वारा किया जाएगा। मुनाफा और ओवरहेड की दिशा में ठेकेदार को दी जाने वाली वास्तविक लागन पर अधिकतम 15% का मार्जिन दिया जाएगा।

* 1. **विचलन सीमा:** यह वह मूल्य है जिसको मूल अनुबंध मूल्य के अतिरिक्त प्राधिकृत विचलन सहित कुल निष्पादित अनुबंध मूल्य को प्रतिशत के रूप में दर्शया गया हो एवं इसको अनुबंध के शर्तों के खंड 2 एवं 13 के तहत प्राधिकृत विचलनों द्वारा कवर किये गये सभी जोड़, चूक, घटौती, बदली या प्रतिस्थापन (विचलन) के कुल जोड़ के साथ समायोजन किया जाएगा। मुख्य कीमत जोड़ों के मूल्यों को उपरोक्त प्रतिशत की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  2. ठेकेदार के साथ कम्पनी द्वारा एक बार कीमत तय और सहमत हो जाने पर मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, ठेकेदार को मूल्यों के तय हो जाने के बाद, लेकिन सामानों के वितरण से पूर्व शूल्क एवं उदग्रहण में घटौती के परिणामस्वरूप हो रहे किसी घटौती से उत्पन्न किसी लाभ को कंपनी को भेजने में सहमत होना होगा।
  3. एक बार कीमत तय हो गई और ठेकेदार के साथ कंपनी द्वारा सहमत हो जाने पर कीमत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन ठेकेदार को कंपनी को पास करने के लिए सहमत होना चाहिए, शुल्क में कटौती के कारण मूल्य में किसी भी बाद की कमी से उत्पन्न किसी भी लाभ कीमत तय होने के बाद, लेकिन सामानों की डिलीवरी से पहले लगाया जाता है।

1. **अस्थायी सामग्रियाँ:** जिसमें किसी प्रमाणपत्र में (जिसका भुगतान ठेकेदार ने प्राप्त किया हो) परामर्शदाता ने कार्यों के आस-पास या उस पर रखे गये या रखे जाने वाले किसी अस्थायी सामग्रियों के मूल्य को शामिल किया हो, ऐसी सामग्रियाँ नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें कार्यों में इस्तेमाल किये जाने के अलावा, नियोक्ता के लिखित प्राधिकरण के बिना हटाया नही जाएगा।

1. **अनुचित कार्य, सामग्री, आदि का निष्कासन:** नियोक्ता के पास, कार्य की प्रगति के दौरान, समय-समय पर आदेश में निर्दिष्ट, ऐसे उचित समय के भीतर कार्यों से निष्कासन करने हेतु लिखित में आदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी, जो परामर्शदाता/ नियोक्ता की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है या अनुमोदित नमूनों की पुष्टि नहीं करता है, अस्वीकृत सामग्रियों का उचित अन्य सामग्रियों द्वारा प्रतिस्थापन, एवं असंगत, अपरिपक्व या कुशल कारीगरी के साथ या अनुबंध के प्रतिकूल सामग्रियों के साथ किसी कार्य का निष्कासन एवं उचित पुनर्निष्कासन, यह ना मानते हुए कि यह पास किया गया या प्रमाणित किया जा चुका होगा या, और भुगतान भी किया जा चा होगा एवं ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन अपनी कीमत पर करेगा।

ऐसे आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार के हिस्से में रह गयी कमी के मामले में, नियोक्ता के पास निष्कासित ऐसे सामग्रियों और इसके परिणामस्वरूप या उससे संबन्धित सभी खर्चों से उत्पन्न होने वाली किसी हानि या नुकसान हेतु जवाबदेही या उत्तरदायी होने की शक्ति होगी जैसा कि ठेकेदार द्वारा वहन किये जाने, या फिर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय योग्य राशि से काटे जाने की बात परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित की गई है।

इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार के हिस्से में डिफ़ॉल्ट के मामले में, नियोक्ता को ऐसी हानि या क्षति के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी होने की शक्ति होगी और ऐसी सामग्री को निकाला जा सकता है या उस पर सभी आनुवंशिक रूप से या उसके बाद के सभी खर्चों को समाप्त कर सकते हैं। परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा, या नियोक्ता द्वारा देय राशि से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकती है

अनुबंध के प्रतिकूल किसी कार्य के पुनःनिष्पादन के बदले, नियोक्ता अपने विकल्प पर इसे रहने की अनुमति दे सकता है लेकिन ऐसा कार्य घटाये दरों पर ही किया जाएगा। इस संबन्ध में अपने विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए सवाल में रहे मद हेतु दर में नियोक्ता का लिया जाने वाला निर्णय एवं घटौती की मात्रा ठेकेदार पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. **ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्णता योजनाएँ:** कार्य के समापन की तारीख के एक महीने के भीतर ठेकेदार निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:
   1. विद्युत कार्यों हेतु सामान्य विशिष्टता (भाग I आंतरिक) 1972 एवं (भाग II बाह्य) 1974 के अनुसार आवश्यक पूर्णता योजना, जैसा लागू हो
   2. परामर्शदाता द्वारा निर्दिष्ट तरीके में आंतरिक और बाह्य सैनिटरी की पूर्णता योजनाएँ, चित्रों के एक सेट पर अंकुश लगा कर जल आपूर्ति और जल निकासी प्रतिष्ठान, पाइप, फिक्स्चर एवं फ़िटिंग्स की मार्ग, स्थिति एवं विवरण

ठेकेदार, उपनियम, यदि हो, की सहमति में स्थानिय प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संस्थापन के प्रमाणन एवं वैधानिक निरीक्षण की भी व्यवस्था करेगा।

यदि ठेकेदार पूर्णता योजनाएं जमा करने में विफल रहे एवं उपरोक्त अनुसार स्थानिय प्राधिकरण से आवश्यक वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो वह पूर्णता योजनाओं की तैयारी हेतु NICL द्वारा खर्च किए गए राशि के समकक्ष का हरजाना भरने एवं उपरोक्त अनुसार आवश्यक सांविधिक प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी रहेगा

1. **दोष के दायित्व की अवधि:** इस परिशिष्ट में दिये गये दोष के दायित्व की अवधि के भीतर प्रकट हो रही कोई चूक, संकोचन, निपटान या अन्य दोष या फिर यदि प्रकट ना की गई हो, अनुबंध के प्रतिकूल सामग्रियों या कारीगरी से परामर्शदाता/ नियोक्ता की राय में उत्पन्न हो रही कार्यों के आभासी पूर्णता के बाद 12 महीनों के भीतर, माँग किये जाने पर नियोक्ता द्वारा दोष के दायित्व की अवधि के भीतर किया जाएगा एवं उसी उचित समय के भीतर इस बात पर ध्यान न देते हुए कार्य, सामग्रियों या मदों को पास या/और प्रमाणित, भुगतान किया जा सकता था, उसको संशोधित करके ठेकेदार द्वारा अपने खुद के उचित खर्चों पर उसे अच्छा बना सकता है और किसी चूक के मामले में नियोक्ता अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संशोधित करने एवं उन दोष, संकोचन, निपटान एवं अन्य दोषों को अच्छा करने नियुक्त एवं भुगतान कर सकता है और इसके फलस्वरूप हो रहे या इससे संबन्धित सारे नुकसान, हानि एवं खर्चों को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा एवं इस प्रकार के नुकसान, हानि एवं खर्च को नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से परामर्शदाता के लिखित प्रमाण पत्र पर ही वसूली की जाएगी या फिर अच्छा बनाने और संशोधन करने के बदले नियोक्ता या ठेकेदार को देय योग्य किसी राशि से काटा जा सकता है परामर्शदाता द्वारा निर्धारित एक राशि जो संशोधन करने और ऐसे कार्य को अच्छा करने की कीमत के समान है एवं खंड 27 के तहत सुरक्षित रखे गये राशि की कमी के क्षेत्र में , ठेकेदार से इस संबन्ध में नियोक्ता द्वारा खर्च किये गये राशि के साथ शेष राशि वसूल की जाएगी, यदि कार्य के लिए खंड 11 में दिये गये अनुसार नियोक्ता द्वारा अनुमोदित या नामित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई गलत कार्य किया गया हो या सामग्री प्रदान किया गया हो, तो ठेकेदार इसी तरीके से कार्य को अच्छा बनाने के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं किया गया हो या प्रदान किया गया हो एवं यह दिये गये खंड 2 के प्रावधानों के अधीन होगा। ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा इस बात का ध्यान न रखते हुए कि अंतिम प्रमाण पत्र सहित किसी प्रमाण पत्र पर परामर्शदाता हस्ताक्षर करे या कोई आकाउंट पास हो।
2. **पूर्णता प्रमाण पत्र:** कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक परामर्शदाता लिखित में यह प्रमाणित नहीं करता कि वो सब आभासी तौर पर खत्म कर दिये गये हैं और दोष के दायित्व की अवधि कार्य के समापन के दस दिनों के भीतर कार्य के आभासी तौर पर समापन के ऐसे प्रमाणित तिथी से शुरू होगा, ठेकेदार परामर्शदाता को ऐसी पूर्णता का नोटिस देगा, फिर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई गलती नहीं है तो ठेकेदार को पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा अन्यथा (क) ठेकेदार द्वारा सुधारे जाने वाले दोषों और/या (ख) घटाये दरों पर भुगतान किये जाने वाले दोषों को दर्शाता पूर्णता का एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन किसी प्रमाण पत्र को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक निष्पादित होते वक्त सारे मचान, अधिशेष सामग्री, कूड़ा और सभी लकड़ी के सामान, दरवाजों, खिड़कियों, दिवारों, फ़र्श या मकान के किसी अन्य हिस्सों, से धूल साफ किया गया हो, उस कार्य के बारे में जिसका निष्पादन किया गया या निष्पादन करने के उद्देश्य से उसका स्वामित्व हो, और जब तक परामर्शदाता द्वारा कार्य को मापा ना गया हो। यदि ठेकेदार यहाँ दिये गये खंड 24 (मूल या वर्धित), कार्य की पूर्णता हेतु तय तारीख तक या उससे पहले धूल साफ करने औऱ उपरोक्त अनुसार मचान, अधिशेष सामग्रियों और कूड़ा को हटाने से संबन्धित इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल हो, नियोक्ता नोटिस जारी करने के बाद,ठेकेदार के खर्चे पर ऐसे मचान, अधिशेष सामग्रियों एवं कूड़ा, इत्यादि को हटा सकता है और जैसा वह उचित समझे उनको निपटा सकता है और उपरोक्त अनुसार ऐसी धूल को साफ कर सकता है, एवं ठेकेदार उपरोक्त अनुसार ऐसे किसी मचान या अधिशेष सामग्रियों के संबन्ध में दावा नहीं कर सकता है सिवाय बिक्री द्वारा पाये गये किसी राशि के। और किये गये खर्च, यदि हो, को नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि से वसूल किया जा सकता है।
3. **नुकसान हेतु ठेकेदार उत्तरदायी:**
   1. ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या सामानों के सभी दुर्घटनाओं, एवं संचालन या खुद की नज़रअंदाज़ी या उप-ठेकेदार के किसी नामित कर्मचारी से उत्पन्न होने वाली संपत्ती के सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए ज़िम्मेदार रहेगा फिर चाहे क्षति की वह दुर्घटना लापरवाह, दुर्घटना या अन्य किसी कारण, चाहे जिस तरीके से भी अनुबंध को बजाय रखने से संबन्धित, से उत्पन्न हो। इस खंड में, अन्यथा, इमारत को कोई नुकसान, चाहे एकदम पास का हो या और कुछ, एवं सड़कों, रास्तों, फुट-पाथ, ब्रीज या राहों को हुई क्षति को इमारतों और कार्यों को हुए नुकसान के रूप में माना जाएगा ताकि इस ठेकेदार के पास ठंड या मौसम के अन्य अस्वच्छता को एक विषय बनाया जा सके। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा और सरकार के सभी और किसी अधिनियमों के संबन्ध में और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप क्षति या मुआवजा के पुरस्कारों के संबन्ध में लाभदायक माना जाएगा।
   2. ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसानों को बहाल करेगा, ताकि अनुबंध के कार्यों को पूरा किया जा सके और सभी दिशा से सही दिखाया जा सके और तृतीय पक्ष की संपत्ति को हुए क्षति हेतु दावों का निपटान किया जा सके या उन्हें अच्छा बनाया जा सके।
   3. ठेकेदार नियोक्ता को सारे दावों की क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ जनता या अन्य तृतीय पक्ष के किसी सदस्य द्वारा किसी भी मामले में बनाया गया हो जो कार्यों के संबन्ध या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और ठेकेदार को अपने खर्च पर, अनुबंध के आभासी पूर्णता होने तक, एक अनुमोदित बीमाकर्ता हेतु ऐसे जोखिमों एवं जमा राशि के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के युग्म नामों में बीमा की एक पॉलिसी को जारी करने और उसे बनाये रखने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ इस अनुबंध के चलने के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास रखी जाती है। ठेकेदार समान रूप से नियोक्ता को भी नियोक्ता पर बनाये गये सारे दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा फिर चाहे वह कारीगरों के मुआवजा अधिनियम के तहत हो या इस अनुबंध के चलते किसी अन्य कानून के तहत हो या ठेकेदार या उप-ठेकेकार के किसी कर्मचारी के संबन्ध में साधारण कानून के तहत हो और ठेकेदार को अपने खर्च पर, अनुबंध के आभासी पूर्णता होने तक, एक अनुमोदित बीमाकर्ता हेतु ऐसे जोखिमों एवं जमा राशि के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के युग्म नामों में बीमा की एक पॉलिसी को जारी करने और उसे बनाये रखने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियाँ इस अनुबंध के चलने के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास रखी जाती है

ठेकेदार ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से हटाये जाने वाले किसी भी चीज़ के लिए और इस अनुबंध को लापरवाही या दोषपूर्ण तरीके से चलाने से उत्पन्न किसी संपत्ति को हुए सभी अन्य नुकसानों हेतु ज़िम्मेदार होंगे।

वह नियोक्ता को दावा या कार्रवाई एवं इसी से उत्पन्न मुआवजा के पुरस्कार के संबन्ध में उत्पन्न किसी भी लागत, शुल्क या खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करेगा

नियोक्ता सलाहकार की सहमति के साथ स्वतंत्र होगा और उसके पास ठेकेदार को देय किसी या सभी राशि से ऐसे किसी दावों या क्षति के संबन्ध में या उससे उत्पन्न होने वाली खर्च, शुल्क, लागत, मुआवजा, किसी क्षति की राशि की कटौती करने का अधिकार है।

24. **इमारत की सुरक्षा हेतु उत्तरदायित्व** - ठेकेदार कार्यों (सामग्रियों, अस्थायी भवनों और प्लांट) की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा जब तक वह नियोक्ता द्वारा सम्भाला नहीं जाता और वो इसका जोखिम भी उठाएंगे, और केवल ठेकेदार ही प्रभार होगा, जो इसके लिए ज़िम्मेदार होगा और सभी हानि को संभावित गति के साथ अच्छा बनाएगा।

24.a. **कार्यों की बीमा:** ठेकेदार कार्य के आरंभ की तिथि से 7 दिनों के भीतर कार्यों को अपने खर्च पर बीमित करेगा और उसे नियोक्ता द्वारा कार्यों को सम्भाले जाने के एक महीने तक या समापन की तिथि के बाद तीन महीनों तक जो भी पहले हो, अग्नि एवं अग्नि के अलावा असामान्य जोखिमों द्वारा हानि या क्षति जिसके खिलाफ बीमाकर्ता साधारणतः ठेकेदारों की सभी जोखिम पॉलिसी में कर्मचारी और ठेकेदार के नामों (पॉलिसी में कर्मचारी का नाम पहले रखते हुए) के साथ, अनुबंध के संपूर्ण राशि हेतु कवर उपलब्ध कराते हैं, उस समय तक बीमित ही रखेगा। ऐसी पॉलिसी केवल नियोक्ता की संपत्ति और दावा के मूल्यांकन हेतु एवं कर्मचारी या उप-ठेकेदार के पुनर्स्थापन में उनकी सेवाओं के सम्बंध में परामर्शदाता एवं सर्वेक्षक के शुल्क को कवर करेगा।

ठेकेदार कार्य के आरंभ की तिथि के एक हफ्ते के भीतर परामर्शदाता/ NICL के पास भुगतान किये गये प्रीमियम हेतु रसीद एवं पॉलिसी जमा करेगा जब तक वह नियोक्ता द्वारा निर्देशित नहीं होता है। परामर्शदाता की अनुपस्थिति में ठेकेदार को देय राशि हेतु, ठेकेदार जितनी जल्दी पॉलिसी के तहत दावे का निपटान होता है या बीमाकर्ताओं द्वारा बहाल किए गए कार्य का समापन होता है उतनी ही जल्दी ठीक उसी तरीके से कार्यों को समाप्त करने में जी जान लगा देगा, मानो जैसे ऐसा कोई अन्य जोखिम या शुल्क कभी हुआ ही नहीं और अनुबंध के सारे शर्त सभी और से समान है। अग्नी या ऐसे अन्य सामान्य जोखिम के बाद पुननिर्माण या पुनर्स्थापन के मामले में नियोक्ता के निर्णय अनुसार समापन हेतु समय के ऐसे विस्तार के लिए ठेकेदार हकदार होगा।

**25.परिसमाप्त हानियाँ:** यदि ठेकेदार ज्ञापन में उल्लिखित तिथि तक या नीचे दिये गये खंड 26 के तहत किसी वर्धित समय के भीतर कार्यों को समाप्त करने में विफल रहे तो ठेकेदार अनुबंध में परिभाषित कार्य के समापन के दौरान अवधि हेतु नियोक्ता को ज्ञापन में “**परिसमाप्त हानियाँ**” के रूप में नामित राशि का भुगतान करेगा, और नियोक्ता ऐसी हानियों को ठेकेदार को देय किसी राशि से काट सकता है।

**26.समय का विस्तार:** यदि ठेकेदार (क) बल प्रतीत होना या (ख) कोई भी असाधारण खराब मौसम या (ग) ठेकेदारों के अलावा स्थानिय प्राधिकरण या सार्वजनिक मालिकों या निकटवर्ती या पड़ोस के मालिकों के साथ झगड़ा या धमकी या किये गये कार्रवाइयाँ या (घ) परामर्शदाता या अन्य ठेकेदारों के विलंब या कार्य एवं मात्रा की अनुसूची और या विनिर्देशों में उल्लेखित ना किया गया हो या (ङ) कार्य को प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी इमारत के व्यापार पर प्रभाव डालते हड़ताल या तालाबंदी या (च) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाले सामग्रियों की उपलब्धता में देरी या अन्य कोई वैध आधार जैसे कारणों द्वारा अनचाहे रूप से रोके गये आधारों पर कार्य के समापन हेतु समय का विस्तार करना चाहे, तो वह नियोक्ता को इस बाधा की तारीख के 15 दिनों के भीतर लिखित में आवेदन करेगा, जिसके आधार पर उपरोक्त अनुसार वह विस्तार चाहता है और परामर्शदाता, यदि उसकी राय में उचित कारण दिखाये गये हो, तो वह नियोक्ता के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ नियोक्ता की संतुष्टि के लिए एक उचित एवं सत्य आधार दे सकता है ताकि अनुबंध कार्यों के पूर्ति हेतु समय को विस्तार किया जा सके, लेकिन ठेकेदार देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयासों को उपयोग कर सकता है और वह सब कुछ करेगा जो कार्य को शीघ्र करने के लिए आवश्यक माना जाए बशर्तेः

क) कि ऐसी बाधा के कारण कार्य की पूर्णता में देरी हेतु समय के विस्तार के अलावा ठेकेदार किसी दूसरे

चीज़ का दावा नहीं कर सकता और

ख)कि ऐसा करने के लिए नियोक्ता द्वारा लिखित में बोले जाने पर ठेकेदार कार्यों को निलंबित रखेगा और केवल

कार्य के निलंबन हेतु और किसी कारण से नहीं कार्य के पूर्णता हेतु उचित वर्धित समय दिया जाएगा। खंड में

किए गये अनुसार ऐसा वर्धित समय नियोक्ता का एकमात्र विवेक है।

**27.परामर्शदाता/ नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता:** यदि ठेकेदार, नियोक्ता से अनुपालन की माँग करते लिखित नोटिस की प्राप्ति के बाद, ऐसे चित्रों/और/या परामर्शदाता के निर्देशों का अनुपालन एक हफ्ते में करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता किसी भी प्रकार के ज़रूरी होने वाले कार्य के निष्पादन हेतु अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इस संबन्ध में किया गया सारा खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से परामर्शदाता के प्रमाण पत्र पर उधार के रूप में वसूल किया जाएगा या उससे ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटा जा सकता है।

**28.नियोक्ता द्वारा अनुबंध का समापन**: यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होते हुए:

1. दिवालिया होने का कोई काम करता है, या न्यायालय की देखरेख या दिवालिया होने या समाप्त करने के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक असामी या परिसमापक की देखरेख के अधीन कंपनी के पास अनिवार्य या स्वैच्छिक रूप से खत्म करने का आदेश हो, या
2. अनुबंध में दिये गये महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों का पर्याप्त उल्लंघन किया गया हो,
3. नियोक्ता के हित के लिए पूर्व-न्यायिक वाला कोई कार्य किया हो
4. यदि आवश्यक हो वह यह साबित कर पाये कि वह परामर्शदाता/ नियोक्ता के उचित संतुष्टि तक अनुबंध के शर्तों का पालन करने और उनको पूरा करने में समर्थ है। यदि नहीं तो अपनी असमर्थता का कारण नोटिस के 7 दिनों के भीतर देना है।

**या** फिर यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, फर्म या एक निगमित कंपनी हो):

1. जारी किये जाने वाले निष्पादन को भुगतना होगा ,
2. इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के किसी भी लेनदार की ओर से या उसके द्वारा संलग्न किये जाने वाले भुगतानों को भुगतना होगा,
3. पहले प्राप्त किये गये नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को निर्दिष्ट या अधीन करना होगा,
4. इस अनुबंध या उसके तहत ठेकेदार को देय योग्य किसी भुगतान को चार्ज या रोका जा सकता है,

**या** फिर यदि परामर्शदाता नियोक्ता को लिखित में प्रमाणित करता है कि ठेकेदार:

1. ने अनुबंध को छोड़ दिया है, या
2. ऐसी निपुणता के साथ काम करने में विफल रहा और पक्षों द्वारा सहमत समय के भीतर खत्म किये जाने वाले कार्यों को ऐसी प्रगति लाने में विफल रहे, या
3. काम शुरू करने में विफल रहा है या इन स्थितियों के तहत ऐसा करने हेतु नियोक्ता से नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों की अवधि के लिए किसी वैध बहाने के बिना कार्य की प्रगति को निलंबित करता है
4. साइट से सामग्रियों को हटाने या दबाने और नियोक्ता से यह लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद कि कथित सामग्रियाँ या कार्य की निंदा की गई और इन स्थितियों के तहत नियोक्ता/ परामर्शदाता द्वारा अस्वीकार किया गया है, कार्य को सात दिनों हेतु बदलना।
5. ठेकेदार द्वारा सभी या किसी अधिनियम, मामला या चीज़ों को देखना और निष्पादित करने की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस की प्राप्त के बाद ठेकेदार सात दिनों हेतु उपरोक्त रूप में व्यवहार का प्रदर्शन करने में लगातार विफल रहा या उपेक्षा की
6. अनुबंध के किसी भाग को कम करने के लिए नियोक्ता के लिखित सहमति के बिना अच्छी कारीगरी का निर्धारण करना और सुनिश्चित करना होगा।

फिर कथित किसी भी खंडों में, नियोक्ता पिछले छूट पर ध्यान ना देते हुए ठेकेदार को लिखित में सात दिनों की नोटिस देने के बाद अनुबंध का निर्धारण कर सकता है लेकित ठेकेदार के दायित्वों एवं जिम्मेदारियों या नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की शक्तियों पर एतद्वारा असर डाले बिना, जो पूर्ण रूप से सक्रिय होना है जैसे कि अनुबंध का निर्धारण किया ही न गया हो।

और इसके बाद नियोक्ता अपने एजेंट और नौकरों द्वारा कार्यों एवं प्लांट में दाखिल हो सकता है या पास के क्षेत्रों या इलाकों में बिछे उपकरणों, मचान, शेट, मशीनरी, भाप या अन्य बिजली के वर्तनों और सामग्रियों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकता है और उन्हें खुद की संपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या फिर उन्हें अपने नौकरों या कारीगरों द्वारा काम में भी लगा सकता है या फिर अन्य ठेकेदार या व्यक्तियों को कार्य पूरा करने हेतु नियुक्त कर सकता है और ठेकेदार किसी भी तरीके से कार्य को पूरा और संपूर्ण करने या सामग्रियों का इस्तेमाल करने हेतु नियुक्त ऐसे अन्य ठेकेदार या व्यक्तियों को किसी भी मामले में कोई कार्य करने से रोक नहीं सकता। नियोक्ता ठेकेदार को उसके अधिशेष सामग्रियों और प्लांट को अपने खर्च पर हटाने के लिए लिखित में भी नोटिस देना होगा, और यदि ठेकेदार इस नोटिस की प्राप्त से 14 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता सार्वजनिक निलामी द्वारा उसे बेचने का हकदार होगा।

इसके बाद परामर्शदाता लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि अधिशेष सामग्री और प्लांट की बिक्री हेतु अंतिम लेखा में ठेकेदार को क्या देय या भुगतान किया जाएगा और ठेकेदार के किसी करनी के कारण नियोक्ता को हुए नुकसान को ठेकेदार को किये गये अंतिम भुगतान के साथ समायोजन किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु, परामर्शदाता का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा

ठेकेदार अनुबंध की समाप्ति के दिनांक तक अनुबंध के प्रदर्शन हेतु किये गये सभी देनदारियों के लिए कानूनी एवं वैधानिक तौर पर उत्तरदायी होगा।

**29. प्रमाण पत्र एवं भुगतान:** ठेकेदार द्वारा साइट पर खत्म किये गये कार्य के विस्तृत माप के साथ सभी बिल तीन कॉपियों में जमा किया जाना है बशर्ते कम से कम निविदा के स्वीकृत मूल्य के कार्य का 30% ठेकेदार द्वारा साइट पर खत्म किया गया हो। परामर्शदाता को माप लेना/ चेक करना पड़ेगा या फिर उनका सत्यापन किये जाने के उद्देश्य से माप लेना या चेक करना पड़ेगा और जब तक अनुबंध के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाता हो, अंतरिम प्रमाण पत्र जारी करना है और नियोक्ता ठेकेदार को अंतरिम प्रमाण पत्रों को सम्मानित करने हेतु निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे प्रमाण पत्रों (ज्ञापन में अनुबंध के शर्तों के अनुसार) के आधार पर भुगतान करेगा बशर्ते पूरा एसडी इकट्ठा करने तक कथित ज्ञापन में अंकुश मारे गये प्रतिशत पर एसडी का प्रतिधारण किया गया हो। इस अनुबंध की समय सीमा के दौरान, केवल आर.ए बील जिनका मूल्य निष्पादित किये जाने वाले कुल कार्य का 30% या उससे अधिक हो, को स्वीकार किया जाएगा।

और जब यह काम पूरी तरह से पूरा हो गया हो और परामर्शदाता ने लिखित रूप में यह प्रमाणित कर दिया हो कि काम पूरा हो गया है, ठेकेदार उसके बाद अनुबंध कार्य के सम्बन्ध में अंतिम बिल जमा करेगा और परामर्शदाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार ज्ञापन में नामित समय के भीतर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। और ठेकेदार यहाँ ज्ञापन में दिये गये दोष के दायित्व की अवधि के समापन के बाद से आभासी पूर्णता की तिथि या फिर इस अवधि के समापन के बाद परामर्शदाता द्वारा लिखित में जारी किया जाने वाला अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष के भुगतान के लिए हकदार होता है। इस बीच कार्यों को पूरा किया जाता है और सब सच्चे इरादों और मतलब से अच्छा बनाया जाता है जो अंत में हो। बशर्ते प्रगति के दौरान परामर्शदाता द्वारा किसी प्रमाण पत्र का जारी होना ठेकेदार को प्रमाण पत्र से संबन्धित किसी मामले या सामग्री या कार्यों से संबन्धित धोखाधड़ी, बेईमानी, या जालसाज़ी के मामले में उसके अपने दायित्व से मुक्त करता है और कार्य या सामग्रियों में सभी चूक एवं कमियों के मामले में जो उचित हो, उसके परीक्षण को प्रकट नहीं किया जाता। परामर्शदारा का कोई भी प्रमाणपत्र खुद निर्णायक नहीं होता बशर्ते कोई कार्य या सामग्री जिससे वह संबन्धित हो, ना ही अनुबंध के अनुकूल होता है और ना ही ठेकेदार किसी राशि का दावा करेंगे जो परामर्शदाता बाद में देय योग्य ना पाए और इस संबन्ध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग नियोक्ता की संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा होतो उसके पास किसी भी प्रमाणपत्र को रोकने की शक्ति होगी। परामर्शदाता, किसी भी प्रमाणपत्र में उसके द्वारा जारी किये गये किसी पूर्व प्रमाणपत्र में कोई सुधार कर सकता है। यदि ठेकेदार कार्यों को बीमित करने में विफल रहता है तो परामर्शदाता द्वारा भुगतान का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें तब तक बीमित रखेगा जब तक भुगतान के आभासी पूर्णता प्रमाणपत्र का जारी होना मना किया जाता है चूँकि ठेकेदार इस बात के औपचारिक समझौते को ऐसा करने के लिए कहे जाने के दो हफ्तों के भीतर निष्पादन नहीं कर पाता है**

**29. सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण पैसा / EMD:**

प्रतिधारण पैसा/ सुरक्षा जमा/ EMD, या नियोक्ता के पास उपलब्ध इसका शेष, ठेकेदार को अनुबंध के शर्तों के ज्ञापन में निर्दिष्ट तरीके से लौटाया जाएगा और इसके रिटर्न की तारीख तक इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इस अनुबंध के अन्य जगहों के विपरीत किसी भी प्रावधान को विचलित न करते हुए।

30 क) **ज़ब्ती खंड**: खंड 21(दोष देयता अवधि) के प्रावदानों के तहत अनुबंध की अपूर्णता के उचित आधार ना पाए जाने पर नियोक्ता EMD /सुरक्षा जमा को ज़ब्त करने का हक है

1. **मध्यस्थता से स्वीकार किये गये मामले:** दिये गये खंड 2,4,7,9,12,16,18,19,24,26 के तहत सभी या किसी भी मामलों के संबन्ध में निर्णय, राय, दिशा प्रमाणपत्र (भुगतान के लिए छोड़कर) सभी पक्षों हेतु अंतिम एवं निर्णायक और बाध्यकारी होगी और यह बिना किसी अपील के होगी। कोई अन्य निर्णय, राय, दिशा, प्रमाणपत्र या परामर्शदाता के मूल्यांकन या यह देने में परामर्शदाता का इनकार मध्यस्थता और पुनर्विचार का अधिकार सभी मामलों में उसी तरह ही अधीन होगा (संदर्भ को खोलने के प्रावधानों सहित) जिस तरह निम्नलिखित खंड के तहत यह नियोक्ता का निर्णय हो।
2. **विवाचन खंड:**
3. किसी भी प्रकार के सारे विवाद या मतभेद, जैसा भी हो, जो किसी भी समय दो पक्षों के बीच उत्पन्न होती है चाहे वह कार्यों से संबन्धित हो या फिर उसका निष्पादन या इस अनुबंध के रखरखाव से संबन्धित या कार्यों से संबन्धित या निष्पादन या रखरखाव या संचालन या उसके असर का हक या पक्षों के हक या दायित्व या उससे उत्पन्न हो रही या उससे संबन्धित या इसके दौरान (इसके अलावा जिसके संबन्ध में किसी व्यक्ति का निर्णय अनुबंध द्वारा अंतिम और बाध्यकारी दर्शाया जाता है) जिसे अनुबंध के किसी भी एक पक्ष को लिखित नोटिस देने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा जिसकी नियुक्ति NICL द्वारा इसी उद्देश्य से निम्नलिखित तरीके के अनुसार एकल मध्यस्थ के रूप में किया जाएगा। संदर्भ प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी लिखित नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एक पैनल भेजेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम होंगे जो उस संगठन के साथ संबन्धित नहीं होंगे जिसके लिए कार्य को भौतिक समय पर कार्यान्वित किया जाता है।
4. एकल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु नाम की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा पैनल में से एक व्यक्ति का चयन किया जाना है, जो न करने पर नियुक्ति प्राधिकारी एकल मध्यस्थ को नामित कर सकता है एवं इस तरह का नामांकन अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
5. नाम की प्राप्ति 30 दिनों के भीतर ठीकेदार द्वारा पैनल से किसी एक व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया जाता है, अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी एकमात्र मध्यस्थ को नामित किया जा सकता है और यह नामांकन अंतिम और बाध्यकारी होगा।
6. यदि नियुक्त मध्यस्थ किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है या अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देता है या अपना कार्यालय खाली कर देता है तो उपरोक्त अनुसार किसी अन्य एकल मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा।
7. अनुबंध के तहत कार्य विवाचन कार्रवाईयों के दौरान जारी रहेगी एवं देय योग्य भुगतान इस तरह की कार्रवाईयों के निर्णय के अधीन होंगी
8. विवाचन न्यायलय के शुल्क एवं खर्च का निर्धारण पक्षों की सहमति द्वारा की जाएगी एवं इसे विवाचन कार्यवाईयों के पक्षों में समान रूप से बाँटी जाएगी।
9. मध्यस्थ का पुरस्कार दोनो पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996, के प्रावधानों या किसी वैधानिक संशोधन या इससे संबंधित पुनःअधिनियमन एवं उसके तहत बनाए गए नियमों, एवं लागू होने वाले समय, इस खंड के तहत मध्यस्थता की कार्यवहियों पर लागू होंगे।
11. **अंतिम बिल के तकनीकी जांच का अधिकार:** नियोक्ता के पास कार्यों और अंतिम बिल के भुगतान के समय किये जाने वाली सभी सहायक वाउचर, सार, आदि सहित ठेकेदार के अंतिम बिल की तकनीकि जांच की मांग करने का अधिकार होना चाहिए। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा यह पाया गया हो कि किसी राशि का अधिक भुगतान या अत्यधिक प्रमाणित किया गया हो तो उसे राशि की वसूली करने के लिए नियोक्ता हेतु वैध माना जाएगा।
12. **नियोक्ता को कामगार को दिए गए क्षतिपूर्ति की वापसी का अधिकार** - यदि रोजगारप्रदाता श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के सेक्शन 12 के सब सेक्शन (1) के प्रावधानों के बल पर संविदाकार के द्वारा कार्य के क्रियान्वयन के लिए रखे गए श्रमिक को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मजबूर होता है तो रोजगार प्रदाता उक्त क्षतिपूर्ति राशि को संविदाकार से वसूल सकता है एवं रोजगारप्रदाता के पास यह छूट रहेगी कि वह उक्त अधिनियम के सेक्शन 12 के सब सेक्शन (2) के तहत इस प्रकार की राशि या उसके हिस्से को सुरक्षा जमा राशि से काट ले या उक्त अधिनियम के सेक्शन 12 के अधिनियम (1) के अंतर्गत उसके विरुद्ध किसी भी प्रतिवाद योग्य राशि के दावे के लिए जिसके लिए वह बाध्य नहीं होगा से वसूली कर सकता है बजाय संविदाकार के लिखित निवेदन या रोजगार प्रदाता के विरुद्ध परिणामस्वरूप इस प्रकार के दावों में जिम्मेदार होने की संभावना से संबंधित सम्पूर्ण सुरक्षा रोजगारप्रदाता को प्रदान कर दे ।
13. **श्रमिक कानून/विनियमन**: संविदाकार पर्याप्त संख्या में संविदा को अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरुप निर्धारित समय में पूरा करने के और गुणवत्ता वाला कार्य विशिष्ट विवरण एवं ड्राइंग एवं सलाहकार/रोजगार प्रदाता के निर्देशों को सुनिश्चित करने लिए श्रमिक लगाएगा ।

संविदाकार सरकार के श्रमिक अधिनियम एवं समय समय पर उसके अंदर बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों की अनुपलना करेगा । वह सलाहकार/रोजगार प्रदाता के निर्देशों पर सभी विशिष्ट विवरण जो भी अपेक्षित हों श्रमिक प्राधिकारणों को प्रस्तुत करेगा ।

संविदाकार आवश्यक लाइसेन्स को पंजीकृत एवं प्राप्त करेगा, सभी रजिस्टरों, सूचनाओं एवं दस्तावेजों का रख रखाव करेगा एवं अपेक्षित विविध अध्यादेश जिसके अंतर्गत कानून जिसमें श्रमिक संविदा अधिनियम 1970 शामिल हो एवं सभी सांविधिक विनियमों जो इस संविदा से संबन्धित हों कि रिटर्न को जमा करना होगा ।

संविदाकार न्यनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के नियमों एवं विनियमों एवं उसके तदनंतर संशोधनों की अनुपालना करेगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 या इस संविदा के अंतर्गत प्रभावित किसी भी अध्यादेश के अनुपालना नहीं करने पर उतपान हुए किसी भी प्रकार की देयता की ज़िम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

1. **प्रशिक्षु अधिनियम** : संविदाकार प्रशिक्षु अधिनियम 1961 एवं उसमें समय समय पर जारी नियमों एवं आदेशों की अनुपालना करेगा **।** उक्त की अनुपालना न करने की स्थिति में यह संविदा का उल्लंघन होगा एवं मालिक अपने विवेक के आधार पर संविदा को निरस्त/समाप्त कर सकता है । अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने की स्थिति के कारण उत्पन्न किसी भी देयता की ज़िम्मेदारी संविदाकार की होगी ।
2. **संविदाकार की मृत्यु** की स्थिति में : इस संविदा के अंतर्गत बिना किसी अन्य पूर्वाग्रह या उपाय के यदि संविदाकार की मृत्यु हो जाती है तो मालिक के पास यह विकल्प होगा कि वह संविदा को समाप्त कर सके एवं संविदाकार को किए गए कार्य की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जाएगी एवं वह सलाहकार के द्वारा विधिवतरूप से सत्यापित की जाएगी ।
3. **सामान्य क्षतिपूर्ति** : संविदाकार, मालिक को एवं मालिक के विरुद्ध सभी प्रकार के दावों, मांग, कार्यवाही, क्षति, लागत एवं खर्च जो भी मालिक के खिलाफ लाये गए हों अथवा जो संविदाकार के कारण किसी भी अधिनियम अथवा कानून, केन्द्रीय अथवा राज्य नियम, अधिनियम, स्थानीय प्राधिकारणों के उपनियम, पंचायत कलेक्टर या इस प्रकार के कार्य से संबन्धित कंपनी के नियमों की अनुपालना नहीं करने अथवा साइट पर पानी, लाइट और अन्य सुविधाएं के संबंध में लगाए गए हों ।

**विशेष शर्तें**

# तकनीकी विशिष्ट विवरण एवं फर्नीशिंग एवं इलेक्ट्रिकल संबंधी कार्यों के लिए विशेष शर्तें

# ये विशिष्ट विवरण किए जाने वाले कार्य के लिए है । कार्य में उपयोग में लिए जाने वाली सामग्री ड्राइंग में परिभाषित एवं यहाँ वर्णित विवरण के अनुरूप हो एवं वह सलाहकार/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पर्यवेक्षण एवं संतुष्टि के अनुरूप हो ।

1. ये विनिर्देश काम करने के लिए किए गए हैं। वस्तुओं को सप्लाई और सामग्री के इस्तेमाल के लिए चित्रों में दिखाए गए और परिभाषित किए गए कार्यों में इस्तेमाल किया जाए और ये सब पर्यवेक्षण के तहत और सलाहकार / नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की संतुष्टि के लिए वर्णित किया गया।
2. कारीगरी उच्च स्तर की एवं सबसे अच्छी स्तर की उपलब्ध होनी चाहिए एवं कार्य के हर क्षेत्र में विशेषज्ञ कारीगरों का उपयोग हो एवं उसी के अनुसार भत्ता दिया जाये ।
3. संविदाकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी आइटम और सामग्री उसकी श्रेणी में उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए जो कि सलाहकार/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा अनुमोदित हों एवं अनुमोदन हेतु जमा किए गए सैंपल के अनुरूप होने चाहिए एवं सामान्यतः विनिर्दिष्ट विवरण के अनुरूप होने चाहिए ।
4. सभी प्रकार की सामग्री जिसमें सामग्री के निर्माता का नाम या ब्रांड, ट्रेड नाम या किसी भी नामावली की संदर्भ संख्या जो भी हो को साइट पर बल्क में ऑर्डर सुपुर्द करने से पूर्व सैंपल जमा करना होगा । संविदाकर पैक सैंपल को बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाएगा एवं अगर कोई सामग्री नकार दी जाती है तो उसे साइट से संविदाकार अपनी लागत पर पर हटाएगा ।
5. संविदाकार कार्य शुरू करने से पूर्व सभी रंग, फैब्रिक्स, पोलिश शेड्स इत्यादि की स्पेसिमेन फिनिशेस सलाहकार / नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा ।
6. अगर शॉप ड्राइंग तैयार करना आवश्यक हुआ तो संविदाकार अपने स्वयं के खर्च पर उसे तैयार करेगा एवं उसके अनुमोदन के लिए काम से काम 4 सेट सलाहकार/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो जमा करेगा ।
7. संविदाकार को सलाहकार अथवा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा कभी मांग किए जाने पर खरीदे गए माल की इन्वाइस, वाउचर अथवा रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी ।
8. संविदाकार ड्राइंग में दी गई सभी मापों को कार्य शुरू होने से पूर्व सत्यापित करेगा । किसी भी प्रकार का अंतर पाये जाने पर उसे सलाहकार के साथ परिशोधित किया जाये ।
9. पार्टिशन लाइन आउट कार्य के शुरू होने से पूर्व साइट पर पहले ही करवा ली जाए और उसे सलाहकार से अनुमोदित करवा लिया जाये ।
10. संविदाकार निविदा के स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर पूरे कार्य का बार चार्ट (CPM method) जमा करना होगा एवं कार्य के लिए अन्य एजेंसी के साथ सामंजस्य हेतु अग्रिम रूप से उसे सलाहकार / नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुमोदित करवा ले ।
11. संविदाकार अपनी लागत पर टूल्स, सामग्री एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा ।
12. पानी एवं बिजली की सप्लाई NICL के द्वारा की जाएगी ।
13. संविदाकार AS BUILT Drawings को स्वयं की लागत पर कार्य के पूर्ण होने पर जमा करें ।

**सुरक्षा कोड**

1. संविदाकार एक “फ़र्स्ट एड अपलाइन्स” (**FIRST AID APPLIANCES) को तुरंत मिलने योग्य स्थान पर रहेगा जिसमें पर्याप्त** sterilized ड्रेसिंग एवं कॉटन वूल शामिल हो ।
2. चोट ग्रस्त व्यक्ति को बिना समय गवाएँ चोट लगने पर जब भी अस्पताल की आवश्यकता हो तो अस्पताल में ले के जाएँ ।
3. कारीगरों को उन सभी कार्यों के लिए जो जमीन से सुरक्षित तरीके से नहीं किए जा सकते हैं तो उन्हें उचित और मजबूत मचान उपलब्ध करवाया जाये ।
4. पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 9 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए । साइड रेल की चौड़ाई 30 cm से काम नहीं होनी चाहिए एवं सटे हुए 2 सोपान के बीच दूरी 30 cm से ज्यादा नहीं होना चाहिए । जब सीढ़ी को एक अतिरिक्त मददगार के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह सीढ़ी को होल्ड करने के काम में प्रयोग होनी चाहिए ।
5. भवन के प्रत्येक ताल या काम करने वाले प्लेटफॉर्म की ओपनिंग उचित फेंसिंग और रेलिंग से युक्त होनी चाहिए जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए ।
6. कोई भी तल, छत अथवा अन्य संरचना का कोई भाग सामग्री से इतना वजनदार नहीं होना चाहिए जिससे यह असुरक्षित हो जाये ।
7. कारीगरों को प्रोटेक्टिव ग्लास, फुटवियर, हैडवियर एवं रबर हैंड ग्लोव जो भी अपेक्षित हो उसे उपलब्ध करवाएँगे ।.
8. वे जो वैल्डिंग कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें सुरक्षा हेतु प्रोटेक्टिव आइ एवं ग्लोव उपलब्ध करवाएँ ।
9. पेंटिंग
   1. रेडीमेड पेंट या पेस्ट की फॉर्म के अलावा कोई भी पेंट उपयोग में नहीं लिया जाएगा, जिसमें लैड या लैड उत्पाद होंगे ।
   2. जब भी पेंट स्प्रे के रूप में अथवा जिस सतह पर लैड पेंट हो और जब भी सतह सुखी, घिसी एवं स्क्रैप की गई हो उचित फेसमास्क्स कर्मियों द्वारा उपयोग हेतु सप्लाइ किए जाए ।
10. काम करने का चोगा संविदाकार के द्वारा ही पेंटर को दिया जाएगा एवं पर्याप्त सुविधाएं कार्यरत पेंटर्स को उन्हें कार्य के सेसेशन की अवधि के दौरान उपलब्ध करवाएगा ।
11. कार्य में उपयोग होने वाली आरोहण करने वाली मशीन जिनमे उनके संलग्न anchorage and supports शामिल हों वे बिलकुल ठीक स्थिति में होने चाहिए ।
12. सामग्री को उठाने, नीचे उतारने या अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली रस्सी लंबी चलने वाली गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं उसी क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए एवं वह दोषों से रहित होनी चाहिए ।

**तकनीकी विशिष्टताएं**

1. लकड़ी: हार्डवुड अथवा टीकवुड स्थानीय उपलब्ध सर्वोच्च गुणवत्ता का होना चाहिए एवं वह उचित सीजन की पर्याप्त विकसित जो कि कीट पतंगो, लार्ज लूस एवं अन्य खराबियों से रहित होना चाहिए एवं अनुचित रख रखाव के कारण warping, spilling अथवा अन्य खराबियों से मुक्त रहेगा ।
2. टीकवुड या तो CP or Ballarshah के सर्वोच्च गुणवत्ता की हो जो कि soft heart, कीट एवं मधुमाखियों के छेद एवं अन्य खराबी से रहित हो ।.
3. सभी गढ़ी हुई लकड़ी ड्राइंग में दर्शाये सही माप और आकार के अनुसार सुनियोजित होना चाहिए । प्रत्येक गढ़े हुए फेस के लिए 2mm अलाउंस की अनुमति है ।
4. सभी वुडेन सदस्य liberally coated एवं फिक्सिंग से पहले दीमक रोधी हों ।.
5. प्लाईवुड: प्लाईवुड BWR IS-101 के वाणिज्यिक प्रकार, मेक और ब्रांड इत्यदी की अनुमोदित होनी चाहिए । प्लाईवुड की मोटाई दिये गए ड्राइंग/विशेष विवरण के अनुरूप होनी चाहिए ।
6. बढ़ईगीरी के लिए कार्यकुशलता : लकड़ी को अपेक्षित माप और लंबाई एवं में काटा जाए एवं बढ़ईगीरी का कार्य आउट लाइन निश्चित होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया जाये । यह फ्रेम में रहनी चाहिए (बोंडेड न हो) एवं तब तक सुरक्षित राखी जाये जब तक यह फिक्सिंग के लिए अपेक्षित न हो । इस स्तर पर यह जुड़ी और वैज होनी चाहिए । कोई भी हिस्सा खराब या विकृत होने पर या अन्य खराबी होने पर वेजिंग उप के फेसिंग द्वारा बदला जाये । सम्पूर्ण कार्य को पूरा एवं फ्रेम एक प्रोपर लाईन में एवं सभी आवश्यक मैटल टाइस, स्ट्रप्स बोल्ट्स, स्क्रू के साथ में जैसा की ड्राइंग और फिट करने के अनुरूप हो किया जाए ।
7. ट्विनिंग बॉन्ड जोड़ टीक टंग्स के साथ क्रॉस टंग होना चाहिए ।
8. संविदाकार पूर्ण या अपूर्ण असुरक्षित कार्य के ड्रेस सुरक्षा एवं आवश्यक अन्तरिम कवरेज की उपलब्धता एवं रख रखाव इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा । साथ ही सभी जगह से काटकर साफ करने सभी किनारे साफ करने एवं अन्य अपव्यय को कार्य के सभी हिस्से से हटाने का काम उसे अपने खर्च पर करना होगा ।
9. प्रयोग में होने वाली लामिनेट शीट विनिर्दिष्ट मोटाई, मेक एवं या तो प्लेन, स्यूड, चिकना या डिजाइन फिनिश एवं नमूना सतह टेक्चर को प्रदर्शित करने वाला हो एवं प्रारूप को उचित नाप में उपयोग में लेने से पूर्व अनुमोदन के लिए जमा किया जाये ।
10. लामिनेट्स उचित adhesive जो कि अनुमोदित ग्रेड और ब्रांड के हों के द्वारा फिक्स किए जाएँ ।
11. dowels, Tenos, wedges इत्यादि की कांट्रैक्ट सतह उचित adhesive से चिपका हुआ होना चाहिए । और जहां जोड़ने या लकड़ी संबंधी कार्य नमी के संपर्क में होता है तो उसके लिए वॉटर प्रूफ एड्हीसिव का प्रयोग किया जाये ।
12. हार्डवेयर : अनुमोदित मेक एवं गुणवत्ता का होना चाहिए । प्रत्येक हार्डवेयर का नमूना पहले दिखाया और जमा किया जाए एवं प्रयोग में लेने से पूर्व अनुमोदित कराया जाए । यह हार्डवेयर सामान्यतः निम्नलिखित के अनुरूप हो या उसकी अनुपालना करे :
    1. Butt Hinges: या तो ब्रास ऑक्सीडाईज्ड हो या हैवी ड्यूटी प्रकार के पिन और वारशर के साथ पाउडर कोटेड अल्युमीनियम हो या उसके जैसे कोई विनिर्दिष्ट हो ।
    2. मोर्ट आइस लोक्स: 6 लीवर्स.
    3. टावर बोल्ट्स: ब्रास ऑक्सीडाईज्ड या पाउडर कोटेड अल्युमीनियम हो
    4. ग्लास एवं उसकी तह चढ़ाना: ग्लास के तह चढ़ने के लिए प्रयुक्त ग्लास प्लेन होने चाहिए जो IS: 3548 के अनुरूप हों या कोई ओर विशेष विवरण हों ।

ग्लास किसी भी प्रकार की खराबी जैसे बबल, उतार चढ़ाव, waves एवं दरारों इत्यादि से रहित होना चाहिए ।

1. पेंटिंग एवं पोलिशिंग: समस्त सामग्री जो इस कार्य के लिए आवश्यक है वो विनिर्दिष्ट एवं निर्माता से अनुमोदित होनी चाहिए एवं उसकी सुपुर्दगी साइट पर निर्माणकर्ता के कंटेनर में सील इत्यादि के साथ बिना किसी टूट फूट के निर्माता के नाम एव ट्रेडमार्क एवं कन्टैंट एवं रंगों के विवरण के साथ होनी चाहिए । समस्त सामाग्री साइट पर एकत्रित रहनी चाहिए ।
2. सभी ब्रशेस, उपकरण, पॉट, केतली इत्यादि जो कार्य को क्रियान्वित करने में उपयोग में आ रही हैं सभी बाहरी तत्वों से रहित होनी चाहिए ।
3. नये लकड़ी के कार्य की सतह जिसे पेंट किया जाना है उसे रगड़ें। उसे बांधे एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड / सलाहकार के अनुमोदन तक रोकें ।
4. पिछली बार लकड़ी की सतह पर किए गए पेंटेड कार्य जिसको पुनः पेंट किया जाना है स्वीकृत सोलवेंट के साबुन के मिश्रण से साफ कर सभी धूल, गंदगी, ग्रीस इत्यादि को साफ करें । जबकि नमी युक्त सतह को समतल उचित अपघर्षक से करें एवं उसके बाद उसकी धुलाई कर उसे सूखने दें। पेंट का छोटा हिस्सा जो खराब है उसे सख्त छोर से छुड़ा कर एवं निर्दिष्ट प्राइमर से सतह से पेंट कर उसे खुला छोड़ दें और उसके बाद पुट्टी कर उसे रोके । कोई भी लकड़ी के निशान जिन्हें पिछली बार पेंट किया गया था और जो इस बार भी पेंट किए जाने हैं उक्त को खरोच, जलाकर या रगड़कर तैयार करें । पिछली बार पेंट किए गए मैटल की सतह जिन्हें इस बार फिर से पेंट किया जाना है वे साफ, समतल एवं किसी भी प्रकार की जंग एवं लूस स्केल इत्यादि को सलाहकार के निर्देशानुसार खाली मैटल को हटाकर, छुड़ाकर एवं wire ब्रुशिंग के द्वारा पूर्ण रूप से हटाएँ ।
5. अल्युमीनियम सेक्शन: अलुमिनियम सर्विस में अल्युमीनियम सिल्ली के साथ बिना किसी खराबी के जैसे छेद, खुरदरापन इत्यादि के अल्युमीनियम का निष्कर्षण शामिल होगा एवं वह आकार, माप एवं वजन इत्यादि में एकदम सही होना चाहिए ।
6. **भारतीय मानकों की सूची जो संबंधित है :**

|  |  |
| --- | --- |
| IS 1200: | भवनों के नवीनतम माप तरीकों एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यो से |
| IS 287: 1973 | टिंबर में अनुज्ञेय अधिकतम नमी युक्त कंटैं की अनुशंसा |
| IS 1141: 1993 | टिंबर की seasoning के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस |
| IS 3845: 1966 | लकड़ी के फर्नीचर में प्रयुक्त जोड़ों के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस |
| IS 3548: 1988 | भवनों में काँच लगाने में कोड ऑफ प्रैक्टिस |
| IS 137: 1965 | तैयार मिश्रित पेंट, ब्रशिंग, सामग्री और फ्लैट के आंतरिक फिनिशिंग हेतु भारतीय मानक रंग जैसा अपेक्षित है के लिए विशिष्ट विवरण |
| IS 113: 1950 | भारतीय मानक रंगों के तैयार मिश्रित पेंट, ब्रशिंग, अंडरकोटिंग के लिए विशिष्ट विवरण |
| IS 133: 2004 | एनामाल, आंतरिक (अ) अंडरकोटिंग (ब) फिनिशिंग |
| IS 110: 1983 | इनामेल रेडी मिक्स्ड पेंट, इनामेल्स के लिए ,प्राइमर्स के उपर उपयोग करने के लिए ब्रसिंग ग्रे फिलर |
| IS 129: 1950 | रेडी मिक्स्ड पेंट, ब्रसिंग, फिनिशिंग एक्सटीरियर, सेमी ग्लॉस,सामान्य उपयोग के लिए, |

1. **निरीक्षण एवं परीक्षण :**

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/सलाहकार हर समय संविदाकार के जोखिम पर मालिक के द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र एजेंसी से सभी सामग्री , कम्पोनेंट एवं कार्य के लिए आइटम्स को संविदाकार के खर्चे पर निरीक्षण कराने लिए अधिकृत होगा । उक्त सभी प्रकार के परीक्षण ISI के दिशानिर्देश एवं सलाहकार/नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्देशों पर किए जाएँगे ।

**श्रमिक कानून एवं नियम**

साइट अभियंता यह सुनिश्चित करें कि संविदाकार सभी संबन्धित रिकॉर्ड का रख रखाव करेगा एवं सभी शर्तों को पूरा करेगा एवं निम्नलिखित के अनुसार सभी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा।

1. वेतन अधिनियम का भुगतान
2. प्रवर्तक देयता अधिनियम
3. कारीगर का क्षतिपूर्ति अधिनियम
4. संविदा मजदूरी (नियामक एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं केन्द्रीय नियम 1971
5. प्रशिक्षु अधिनियम 1961
6. अन्य कोई कानून या अध्यादेश जो उससे संबन्धित हो एवं उसके अंतर्गत समय समय पर बनने वाले नियम।

साइट अभियंता स्वयं को एवं उसके अधीन पर्यवेक्षकों को किसी भी प्रकार के साइट पर लेबर विवादों की मध्यस्थता टिप्पणी/सलाह/प्रयास में शामिल होने से दूर रखेगा । उसका कार्य केवल इस प्रकार की घटना को एक उद्देश्य तरीके से अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना है ।

**दरें**

1. उल्लिखित मात्राएँ अनुमानित हैं एवं भुगतान वास्तविक माप के बाद किया जाएगा ।
2. पार्टिशन्स और वॉल क्लैडिंग की दरों में साइट की स्थिति या फ्रेम की स्थिरता जैसा भी आवश्यक हो का फ्रेम वर्क सपोर्ट भी शामिल होगा ।
3. दरवाजों की दरों में अनुमोदित डिजाइन और मेक के हैंडल, तालों, टावर बोल्ट्स, डोर स्टोपर्स, हिंज्स इत्यादि का प्रावधान शामिल होगा ।
4. हार्डवेयर की दरों में मैचिंग के स्क्रू को लगाने एवं अदायगी शामिल होगी ।
5. फर्नीचर की दरों में अपेक्षित फर्नीचर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सुपुर्द करने तक यथा स्थान एवं क्षति से बचाने का प्रावधान रहेगा ।
6. सभी पेंटिंग एवं पोलिश संबंधी कार्यों की दरों में प्रत्येक कोट से पहले सभी सतहों की तैयारी, सैंड पेपरिंग और रबिंग डाउन, सभी ब्रश एवं सफाई की सामग्री शामिल होगी ।
7. कार्य के समाप्त होने के बाद साइट को सभी बचे हुए सामान, कचरा इत्यादि को उस स्थान से हटाना होगा एवं साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी लामिनेट्स, फ्लोरिंग दीवारें, फर्नीचर सतह एवं टॉप इत्यादि दाग रहित हैं ।
8. अल्युमीनियम निष्कर्षण सेक्शन सामान्यतः दी गई ड्राइंग एवं विशेष विवरण की पुष्टि करेगी जिसके अनुरूप यह निर्माण सूची में निर्दिष्ट न्यूनतम भार संरचना को सुनिश्चित करेगी ।
9. अल्युमीनियम सेक्शन के डाईमैनशन के लिए 5% भत्ता नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड / सलाहकार अपने विवेक पर मंजूर कर सकता है ।

**अनुसूची – X**

**वचनबद्धता**

यह पुष्टि की जाती है कि मैं/हम/मै..................................(पूर्ण पता भरें) के द्वारा किसी सरकारी विभाग में कोई रद्द कार्य का त्याग / कार्यालय एवं भारत सरकार के उपक्रम या उद्यम एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी होने से 5 वर्ष पूर्व तक किसी कार्य का त्याग एवं ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है । यदि उक्त जानकारी कार्य आदेश के बाद किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल लीगल वर्टिकल, 2E/9 प्रथम तल झंडेवालान एक्सटैन्शन, नई दिल्ली-110055 के पास कार्य आदेश/खरीद को रद्द करने एवं परफॉरमैंस गारंटी रद्द करने का पूर्ण अधिकार रहेगा । कार्य आदेश के रद्द होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा उस समय जो उचित समझा जाए कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त उससे संबन्धित सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत हमारे द्वारा वहन की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता एवं सील

**अनुसूची – Y**

**ज्ञापन**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | कार्य का नाम : | बाहरी,आंतरिक एवं कॉमन क्षेत्र ,पेंटिंग, सिविल मरम्मत, प्लंबिंग के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य, कंपनी के स्वामित्व में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रजनीगंधा अपार्टमेंट साहिबाबाद., उत्तर प्रदेश के 10 आवासीय फ्लैटस के आंतरिक एवं बिजली संबंधी कार्य |
| 2. | अनुमानित राशि : | रुपये 73.70 लाख (लगभग) |
| 3. | अग्रिम जमा राशि : | रुपये 1,50,000/-(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) |
| 4. | कार्य आरंभ करने की तिथि : | कार्य आदेश की प्राप्ति की दिनांक से या साइट की सुपुर्दगी जो भी बाद में हो । |
| 5. | कार्य सम्पूर्ण होने की अवधि : | **साइट के सुपुर्द करने की दिनांक से 180 दिनों में 10 फ्लैट का कार्य सम्पूर्ण करने की अवधि । कार्य करने का समय प्रातः 09.00 बजे से साँय 07.00 बजे तक रहेगा ।** |
| 6. | कार्य के भुगतान हेतु अन्तरिम प्रमाण पत्र हेतु लिए जाना वाला मूल्य  (सलाहकार की अनुशंसा के अनुसार) | 75% कार्य के मूल्य का 3 चालू खाता बिल में दावा किया जा सकता है :   1. 30 प्रतिशत कार्य होने पर 25 प्रतिशत भुगतान 2. 60 प्रतिशत कार्य होने पर 25 प्रतिशत भुगतान 3. 90 प्रतिशत कार्य होने पर 25 प्रतिशत भुगतान 4. 15% भुगतान कार्य के समाप्त होने पर सलाहकार/NICL के संतुष्ट हो जाने एवं कार्य के सुपुर्द करने के बाद होगा । |
| 7. | बिल में से सुरक्षा जमा के रूप में काटा जाने वाला प्रतिधारण प्रतिशत | बिल के सकाल मूल्य का 8 प्रतिशत |
| 9. | दोष दायित्व अवधि : | सम्पूर्ण होने की तिथि से 1 साल तक जैसा कि सलाहकार द्वारा प्रमाणित किया गया हो । |
| 10. | सुरक्षा जमा राशि की वापसी : | 100% सुरक्षा जमा एवं EMD को दोष दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने पर जैसा सलाहकार के द्वारा अनुशंसा की है के बाद वापिस कर दिया जाएगा । |
| 11. | परिनिर्धारित/परिसमापन क्षतिपूर्ति : | अनुबंध राशि का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसका कुछ अंश जो कि अधिकतम अनुबंध राशि/अंतिम बिल राशि के 10% के अधीन होगा । |
| 12. | अंतिम माप की अवधि : | 15 दिन. |
| 13. | मानदेय हेतु भुगतान के अन्तरिम प्रमाण पत्र की अवधि | 20 दिन. |
| 14. | मानदेय हेतु भुगतान के अंतिम प्रमाण पत्र की अवधि | 40 दिन . |